2015-17

सामुदायिक वन अधिकारों पर एक नज़र

सामुदायिक वन अधिकार
सीखने और जनवकालत

प्रक्रिया की रिपोर्ट

यह रिपोर्ट सामुदायिक वन अधिकार – सीखने और जनवकालत (CFR-LA) की प्रक्रिया के कार्यों से उभरी है। CFR-LA की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई जिसके अंतर्गत जानकारी और अनुभव बांटने के साथ साथ अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम, 2006 के सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों (CFR) पर साक्ष्य–आधारित जन वकालत के राष्ट्र स्तरीय प्रयासों को सुदृढ़ करने का उद्देश्य था। CFR-LA से जुड़ने के लिए यहां से जानकारी प्राप्त करें :
https://groups.google.com/forum/#!forum/cfr-la

वैबसाइट
http://fra.org.in/
www.cfrla.org.in

इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी के लिए संपर्क करें :
मीनल तत्पति, कल्पवृक्ष,
meenaltatpati@gmail.com ।

आभार सूचि

CFR-LA प्रोजेक्ट समन्वय (2015–2016) : कल्पवृक्ष और वसुंधरा
रिपोर्ट का संकलन : मीनल तत्पति, श्रुति अजित (MoTA स्टेटस रिपोर्ट)

संपादन :

नीमा पाठक ब्रूम, मीनल तत्पति, संघमित्रा दुबे, तुषार दाश

हिंदी अनुवाद :

निधि अग्रवाल

रचना :

नवीद दादन

सहयोग :

ऑक्सफेम इंडिया

अनुक्रमणिका

A प्रस्तावना 01

B राष्ट्रीय अवलोकन 03

I नीतियों की जानकारी 03

1 पत्र, परिपत्र, दिशानिर्देश और मैमोरैन्डम 03

1.1 MoTA के दफ्तर से 03

1.2 MoTA और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दफ्तरों से वन भूमि हस्तांतरण पर 11

1.3 अन्य विभागों से 13

2 नियम के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले घटनाक्रम 13

2.1 वनीकरण से संबंधित नीतियां 13

2.2 वन्यजीव कार्ययोजना का प्रारूप 14

2.3 भारतीय वन अधिनियम (इंडियन फॉरेस्ट ऐक्ट, 1927) की समीक्षा 15

2.4 राष्ट्रीय वन नीति का पुनरीक्षण 15

2.5 CFR प्रबंधन और अभिशासन के दिशा निर्देश 16

3 **FRA** के क्रियान्वयन पर असर करने वाले नए अधिनियम 16

3.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 16

3.2 भारतीय वन (महाराष्ट्र) (ग्राम वनों के अभिहस्तांकन, प्रबंधन और निराकरण का विनियमन) संशेधन अधिनियम, 2015 या महाराष्ट्र ग्राम वन अधिनियम 2015 16

3.3 मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम 17

3.4 खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 17

4 **FRA** पर अदालतों के फैसले 19

4.1 सर्वोच्च न्यायालय 19

4.2 उच्च न्यायालय 20

4.3 नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 21

II क्रियान्वयन की जानकारी 22

1 MoTA स्थिति रिपोर्ट 22

C राष्ट्रीय स्तर पर उभरते प्रमुख मसले 23

D **FRA** पर लिखे गए लेख 33

E अनुबंध 44

A. प्रस्तावना

अनुसूचित जनजाती व अन्य पारंपरिक वनवासी (अधिकारों को मान्यता) अधिनियम (जिसे वनाधिकार अधिनियम या FRA के नाम से भी जाना जाता है) को भारतीय संसद ने वर्ष 2006 में पारित किया और इसे वर्ष 2008 में अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम भारत के वनों में रहने वाले समुदायों के संघर्षों और आंदोलनों का परिणाम है, जिसके माध्यम से इन समुदायों व लोगों के प्रति कई दशकों से किए गए 'ऐतिहासिक अन्याय' का अंत करने की कोशिश की गयी। औपनिवेशिक काल से चली आ रही सरकार की नीतियों और प्रशासन के कारण[1], इन समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से वंचित रख कर, उनके इन पर कोई अधिकार न होने के कारण, उन्हें विस्थापित व बेदखल करके, और उनके प्रथागत आजीविकाओं को गैरकानूनी ठहराते हुए, इन्हें गरीबी के जाल में धकेल दिया गया था।

आज, देश के करीब 21 प्रतिशत क्षेत्रफल में लगभग 30 करोड़ ऐसे लोग रहते हैं [2]। वनों में रहने वाले समुदायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, सामुदायिक वन अधिकार (CR)[3], चूंकि इनके माध्यम से इन समुदायों और वनों के बीच के जटिल सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ते को मान्यता देने का प्रयास किया गया है। 'किसी भी वन संसाधन की सुरक्षा, उसके पुनर्जनन, संरक्षण या प्रबंधन' के अधिकार देते हुए (CFR) (जिन्हें धारा 3 (1) (i) में, प्रथागत रूप से उपयोग किए जा रहे वन, जो कि गांव की पारंपरिक सीमाओं के अंतर्गत स्थित हैं या सीज़नी रूप से चरवाहा समुदायों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, के रूप में परिभाषित किया गया है), यह अधिनियम उन नियमों, कानूनों और संस्थाओं को वैधता देता है, जिनके माध्यम से यह समुदाय आज तक सतत रूप से इन वनों का प्रबंधन करते आए हैं। इस अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि बिना अधिकारों की बंदोबस्ती पूरी किए हुए, लोगों को निष्कासित नहीं किया जा सकता।

अधिनियम के लागू होने के शुरुआती वर्षों में व्यक्तिगत भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने पर ही ज़ोर रहा। कुछ समय बाद संबंधित सामुदायिक नेताओं, जन आंदोलनों और नागरिक संस्थाओं को CFR प्रावधानों का वनवासियों की सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक ज़रूरतों को पूरा करने में महत्व और उपयोगिता नज़र आई, और उन्होंने इन्हें लागू करने की मांग करनी शुरू की। सामुदायिक वन अधिकार–सीख एवं जनवकालत (Community Forest Rights-Learning and Advocacy (CFR-LA) प्रक्रिया की शुरुआत इसीलिए की गई, जिससे कि मिलकर CFR के विषय में समझ बढ़ा सकें और इसके लाभ संयुक्त रूप से उठा सकें। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में कुछ संस्थाओं, अध्ययनकर्ताओं, तृणमूल स्तर आंदोलनों और वनाश्रित समुदायों के सदस्यों ने मिलकर की। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, एक वेबसाइट (http://fra.org.in/new/) और एक लिस्टसर्व (https://groups.google.com/forum/#!forum/cfr-la) की शुरुआत की गई, जिनके माध्यम से जानकारी बांटी जा सके और चर्चाएं चलाई जा सकें, किसी को ज़रूरत पड़ने पर मदद दी जा सके और CFR के संबंध में सांझी रणनीतियां बनाई जा सकें। CFR-LA प्रक्रिया के अंतर्गत, कई राष्ट्र स्तरीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है, जिनका संचालन वसुंधरा और कल्पवृक्ष ने किया और ऑक्सफैम का सहयोग रहा। इन

[1] पढें, गाडगिल, एम. और गुहा, आर. (1992)। दिस फिशर्ड लैंड : ऐन ईकोलौजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया : ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटि प्रैस, स्प्रिंगेट–बागिन्स्की, ओलिवर आदि. 2009. रिड्रैसिंग ''हिस्टौरिकल इनजस्टिस'' थ्रू द इंडियन फॉरेस्ट राइट्स ऐक्ट 2006 : अ हिस्टौरिकल इंस्टिट्यूशनल अनैलेसिस ऑफ कन्टैम्परारी फॉरेस्ट राइट्स रिफौर्म. आई.पी.पी.जी., डिस्कशन पेपर सीरीज़ 27. यह http://www.ippg.org.uk/papers/dp27.pdf पर उपलब्ध है (जानकारी 5.01.15 को ली गई), बोस, इंद्रनील. 2010. 'हाओ डिड द इंडिया फॉरेस्ट राइट्स ऐक्ट, 2006 इमर्ज?'. आई.पी.पी.जी., डिस्कशन पेपर सीरीज़ 39. रिसर्च प्रोग्राम कौन्ज़ौर्शियम फॉर इम्प्रूविंग इंस्टिट्यूशन्स फॉर प्रो–पूअर ग्रोथ, मैन्चेस्टर, यू.के.।

[2] भारतीय वन सर्वेक्षण 2013 में अनुमान लगाया गया है कि देश की 21 प्रतिशत भूमि 'वन भूमि' की कानूनी श्रेणी के अंतर्गत श्रेणीबद्ध है।

[3] अधिनिनियम की धारा 3 (1) (बी–1) में यह प्रावधान दिए गए हैं। अधिनियम को पर

http://tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201306070147440275455NotificationMargewith1Link.pdf देखा जा सकता है।

कार्यशालाओं के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर सहयोग देने के साथ–साथ हर स्तर पर आनेदवाली चुनौतियों का सामना करने में मदद मिली है। इस प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने पिछले वर्षों में सहयोगी रूप से जनवकालत करने, ज्ञापन जारी करने और वक्तव्य निकालने का काम किया है। CFR-LA प्रक्रिया के अंतर्गत ही, कल्पवृक्ष और वसुंधरा ने वर्ष 2012 से लगातार CFR कार्यान्वयन की स्थिति पर वार्षिक नागरिक रिपोर्टें भी निकाली है।[4]

वर्ष 2016 में इस अधिनियम के 10 साल पूर्ण हो चुके है। इन 10 सालों में ऐसे कई उदाहरण उबरे हैं जहां समुदायों ने अपने CFR अधिकारों का दावा किया और उन पर हक्क प्रस्थापित रखा, ग्राम सभाएं अपने वनों का नियमित और प्रभावी पबंधन कर रही हैं, और अधिकार लाभदायक आजीविकाओं में तब्दील हो रहे हैं। कुछ समुदायों ने FRA के अंतर्गत प्राप्त हुए कानूनी अधिकारों और प्राधिकारों का उपयोग करते हुए, विकास परियोजनाओं के लिए वनों के हस्तांतरण पर लगाम कसी है और कुछ ने अपने CFR क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा अपनाई जा रही प्रबंधन प्रणालियों के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। कुछ मामले ऐसे भी हैं, जहां ग्राम सभाओं ने गैर–काष्ठीय वनोपज, जैसे कि बांस, तेन्दु, महुआ और मछली के एकत्रीकरण और बिक्री पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। इस बीच आदिवासी कल्याण मंत्रालय, जो कि इस अधिनियम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी निर्धारित की गई है, ने CFR प्रावधानों से संबंधित कई पत्र, दिशानिर्देश और मैमोरैन्डम जारी किए हैं।

लेकिन इस सब के बावजूद, CFR प्रावधानों को व्यापक रूप से लागू करने में कुल मिला कर, धीमी गति से ही काम हुआ है। इसके कई कारण हैं, जिसमें राजनैतिक मंशा और प्रशासनिक प्रयास की कमी, यह डर कि समुदाय मौजूदा वन प्रबंधन प्रणालियों और वन भूमि हस्तांतरण के लिए स्वीकृति नहीं देंगे और सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है कि संबंधित समुदायों, उप–खण्डीय और खण्ड स्तरीय कमिटि सदस्यों तथा स्थानीय समूहों व संस्थाओं को इन प्रावधानों के बारे में जानकारी ही नही है यह सब कारण है।

यह रिपोर्ट का उद्देश्य है कि हम अप्रैल 2015–अप्रैल 2017 में हुई CFR प्रावधानों से संबंधित जानकारी, समाचार, नज़रिया, नीतियों की जानकारी और विश्लेषण को आलेख कर समुदायों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को हिंदी में बांट सकें। वर्ष 2015 में हमने द्विमासिक संवादपत्र भी जारी किया, जिसमें छपी खबरों और ख़ास लेखों का सारांश भी इस रिपोर्ट में दिया गया है[5]।

हमें आशा है कि यह रिपोर्ट पाठकों के लिए उपयोगी होगी। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर पहुंचाएं।

[4] यह रिपोर्टें इन लिंकों पर उपलब्ध हैं : 2012 की http://fra.org.in/document/A%20National%20Report%20on%20Community%20Forest%20Rights%20under%20FRA%20-%20Status%20&%20Issues%20-%202012.pdf] 20123 की http://fra.org.in/document/Citizen%20Report%202013%20on%20CFR%20under%20FRA.pdf और 2015 की http://fra.org.in/document/CITIZENS'%20REPORT%202015%20COMMUNITY%20FOREST%20RIGHTS%20UNDER%20THE%20FOREST%20RIGHTS%20ACT.pdf

[5] संवाद पत्र यहां उपलब्ध है : http://www.kalpavriksh.org/index.php/conservation-livelihoods1/laws-policies/forest-rights-act/88-fra-newsletter

B. राष्ट्रीय अवलोकन

इस अंश में आपको अप्रैल 2015 से अप्रैल 2017 के बीच, CFR प्रावधानों के संबंध में नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन के स्तर पर हो रही घटनाओं की जानकारी मिलेगी।

I. नीतियों की जानकारी

जून और जुलाई 2015 के महीनों में केन्द्र सरकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय, MOTA) ने कई परिपत्र और प्रस्ताव पारित किए और कुछ राज्य सरकारों ने भी परिपत्र, योजनाएं और नीतियों की घोषणा की जिनका वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA) के लागू होने पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इनमें से कई प्रधान मंत्री द्वारा 22 अप्रैल 2015 को हुई 'प्रगति' (सक्रिय प्रशासन और समयबद्ध क्रियान्वयन PRAGATI) की बैठक में वनाधिकार अधिनियम के परिणामों का आंकलन करने के कारण जारी हुए। इस बैठक में राज्यों को आदेश दिया गया था कि वे वनाधिकार अधिनियम को एक 'अभियान' के रूप में 'समयबद्ध' तरीके से लागू करें। पूरे वर्ष में MoTA ने कई परिपत्र जारी किए हैं जो अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं।

लेकिन, इनके साथ ही, विभिनन मंत्रालयों द्वारा कई नीतियां, घोषणाएं और कानून भी पास किए गए जिनके FRA के क्रियान्वयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इन सब नीतिगत बदलावों के बारे में संक्षेप में नीचे लिखा गया है।

1. पत्र, परिपत्र, दिशानिर्देश और मैमोरैन्डम

1.1 MoTA के दफ्तर से

(क). MoTA ने 13 फरवरी 2015 को, महाराष्ट्र के राज्यपाल को एक स्पष्टीकरण[6] जारी किया, जिसमें FRA और PESA के अंतर्गत सूक्ष्म वनोपज के एकत्रीकरण और बिक्री के बीच के संबंध को स्पष्ट किया गया। इस स्पष्टीकरण के अनुसार :

- FRA और PESA के बीच में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि PESA में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तारण का प्रावधान है, जिससे उन क्षेत्रों के लोगों को सशक्त किया गया है, और FRA में वनों में रहने वाले समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता देने का प्रावधान किया गया है। अतः दोनों अधिनियम उनके खिलाफ़ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करते हुए, आदिवासियों और वनों में रहने वाले समुदायों को सशक्त करते हैं। लेकिन भूमि, वनों, जल, पैसे के लेनदेन और सूक्ष्म वनोपज संबंधी राज्य कानून और प्रशासनिक आदेश इन दोनों अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जिन्हें FRA और PESA के अनुरूप बनाने के लिए उनमें संशोधन करने ज़रूरी हैं।

[6] http://www.tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201504080447495152679FRA.pdf

- FRA के अंतर्गत, व्यक्तिगत अधिकार ग्राम सभा के अधिकारों पर टिके हुए हैं। अतः, हांलाकि FRA संशोधन नियम, 2012 के नियम सख्या 2(1)(d) के अनुसार, सूक्ष्म वनोपज के अधिकार भी व्यक्तिगत रूप से, कुछ लोगों के समूह या परिवारों को दिए जा सकते हैं, लेकिन धारा 5 के अंतर्गत, सूक्ष्म वनोपज की बिक्री ग्राम सभा का ही अधिकारक्षेत्र रहेगा, चूंकि FRA का मूल सिद्धांत है कि गांव से कोई भी उपज तब तक बाहर ना जाए, जब तक कि समुदाय की ज़रूरतें पूरी ना हो जाएं और कुछ विशिष्ट सूक्ष्म वनोपज का उपयोग करने वाले कारीगरों के अधिकार सुरक्षित न कर लिए जाएं। लेकिन, जहां लोगों, समूहों या परिवारों पर कोई बंधन नहीं है कि वे केवल ग्राम सभा या उसके ठेकेदारों को ही वनोपज बेच सकते हैं, चूंकि कुछ वनोपज की कीमत कम होती है और उसे जल्द बेचना ज़रूरी होता है, उन्हें सतता के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 5 के अनुरूप, ग्राम सभा के निर्णय को मानना ज़रूरी है।
- नियम संख्या 4(1)(e) के अंतर्गत वनोपज की बिक्री और उससे होने वाली आय पर ग्राम सभा का अधिकार है, उसकी कमिटि का नहीं। कमिटि को ग्राम सभा केवल इसलिए नियुक्त करती है जिससे कि कमिटि सुनिश्चित कर सके कि ग्राम सभा के सभी निर्णयों की अनुपालना की जा रही है।

(ख) सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम, 10 अप्रैल 2015 के पत्र में MoTA ने कई मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि CFR अधिकारों को मान्यता न दिए जाना, बड़ी संख्या में दावों की नामंजूरी, राज्य स्तरीय जांच कमिटियों (SLMCs) का नियमित बैठके न करना और त्रैमासिक रिपोर्टें जमा न करना, कई मामलों में अधिनियम की धारा 4(5) का उल्लंघन जिसमें शामिल है राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से पुनर्स्थापन, लघु वनोपज पर राज्य का स्वामित्व बने रहना और अधिकारों की बंदोबस्ती ना किया जाना। इस पत्र में राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इन मुद्दों पर उचित कार्यवाही करें।

(ग) 16 अप्रैल 2015 को जारी एक ऑफिस मेमोरेन्डम[7] में MOTA ने अपना दृष्टिकोण दोहराया है कि महाराष्ट्र ग्राम वन नियम, 2014 वनाधिकार अधिनियम और पेसा अधिनियम, 1996 के विरोध में हैं। MOTA को यह इसलिए दोहराना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने MOTA के पिछले पत्र, जिसमें उसने महाराष्ट्र ग्राम वन नियमों को निलंबित करने के लिए कहा था, के बाद अतिरिक्त न्याय अभिकर्ता और राजकीय अटौर्नी जनरल से महाराष्ट्र ग्राम वन नियमों पर कानूनी राय मांगी थी।[8] MOTA ने दोहराया है कि ग्राम वन नियम वनाधिकार अधिनियम के विरुद्ध हैं। ग्राम वन नियमों का वनाधिकार अधिनियम और पेसा से विरोधाभास के संदर्भ में MOTA ने निम्नलिखित कारण दिए हैं:

- ग्राम वन नियमों के अनुसार एक बार दिए गए अधिकारों को कुछ स्थितियों में राज्य सरकार ग्राम सभा को नोटिस देने के बाद वापस ले सकती है। लेकिन वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को ना ही राज्य सरकार वापस ले सकती है और ना ही अधिकार धारक उन्हें वापस कर सकते हैं।
- ग्राम वन नियमों के अंतर्गत वन आधारित समुदायों को केवल लघु वनोपज एकत्रित करने का अधिकार दिया गया है, जबकि वनाधिकार अधिनियम उन्हें लघु वनोपज के स्वामित्व का अधिकार देता है।

[7] http://fra.org.in/ASP_OrderCiculars_UploadFile/%7B39ba60f3-eebd-4e62-b237-ae4a9d67d83b%7D_MoTA%20letter%20to%20Mahashtra%20Govt%20regarding%20Village%20Forest%20Rules.pdf

[8] http://www.dnaindia.com/india/report-ministry-of-tribal-affairs-reiterates-its-stand-on-maharashtra-forest-rules-2129640

वनाधिकार अधिनियम में यह भी कहा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत वापस नहीं लिया जा सकता, जब तक कि यह अधिनियम देश में लागू है। पेसा में भी धारा 4 (m) (ii) लघु वनोपज के स्वामित्व का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है।

- ग्राम वन नियमों में राज्य पंचायत अधिनियम के अंतर्गत, तोक स्तरीय ग्राम सभा के बदले पंचायत स्तरीय ग्राम सभा को मान्यता दी गई है। यह वनाधिकार अधिनियम का उल्लंघन है।
- ग्राम वन नियमों में दिया गया है कि ग्राम सभा अपने सामुदायिक वनों के प्रति प्रबंधन, सुरक्षा, संरक्षण और संजोने की अपनी कानूनी शक्तियों और ज़िम्मेदारियों (वनाधिकार अधिनियम की धाराएं 5 और 4(1)(e) और महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तारण (पेसा) नियम, 2014 के तहत प्रदान की गई) को पहले से चली आ रही संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को सौंप देगी। लेकिन संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का वन संरक्षण और प्रबंधन कमिटि (या वनाधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(e) के अंतर्गत CFR प्रबंधन कमिटि; या महाराष्ट्र पेसा नियमों के अंतर्गत संसाधन विनियमन और प्रबंधन कमिटि) की तरह कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है।

इस पत्र के ज़रिए MOTA ने पुनः स्थापित किया कि ग्राम वन नियम ग्राम सभाओं की निर्णय शक्तियों को कम करते हैं और वे आम तौर पर, विशिष्टतया और स्वाभाविक रूप से वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। MOTA ने संयुक्त वन प्रबंधन समितियों और वनाधिकार अधिनियम की वन संरक्षण और प्रबंधन कमिटियों के बीच भविष्य में द्वंद्वपूर्ण स्थिति पैदा होने की संभावना की ओर भी संकेत किया है।

(घ) 23 अप्रैल 2015 को FRA की धारा 12 के अंतर्गत जारी किए गए दिशानिर्देशों[9] में MoTA ने ज़ोर दिया है कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों (CFR) को मान्यता, उनकी बंदोबस्ती और प्रबंधन किया जाए,

- CFR के पुनर्जनन, सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी नियम संख्या 4(1)(e) के अंतर्गत गठित कमिटी के साथ मिलकर ग्राम सभा की है, अतः ग्राम सभा प्रबंधन और संरक्षण योजना बनाने के लिए स्वतंत्र है, जो कि बेहद सरल हो सकता है, जिसे समुदाय के सभी लोग आसानी से समझ सकें।
- नियम संख्या 4(1)(e) के अंतर्गत गठित की गई कमिटी वन विभाग द्वारा बनाई गई कार्यकारी योजना, सूक्ष्म योजना या प्रबंधन योजना में भी बदलाव कर सकती है, जिससे कि उसे ग्राम सभा की संरक्षण एवं प्रबंधन योजना में सम्मिलित किया जा सके।[10]
- विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाली सहयोग राशि और आदिवासी उपयोजना, रोज़गार गारंटी, वानिकी, कैम्पा आदि से प्राप्त होने वाली राशि भी ग्राम सभा की नियम 4 (1)(e) कमिटी को ही दी जाएगी।
- CFR क्षेत्र को वनों की एक नई श्रेणी माना जाएगा, और इन्हें बंदोबस्ती के रिकार्ड में शामिल किया जाएगा।

[9] http://www.tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201504230255000176646guidelines.pdf

[10] वन विभाग द्वारा एक कार्यकारी योजना बनाई जाती है, जो कि प्राकृतिक वनों के 'प्रबंधन' की औपनिवेशिक अवधारणा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक वानिकी के अनुसार एक ही प्रजाति को काष्ठ उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन, कई वनाश्रित समुदायों ने इन कार्यकारी योजनाओं का विरोध किया है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां वनों पर बीते सालों में बहुत काम हुआ, और जहां पर समुदायों ने पुराने प्राकृतिक वनों के संरक्षण के लिए प्रयास किए, क्योंकि इन वनों से उनकी विभिन्न आजीविका और सामाजिक–सांस्कृतिक ज़रूरतें पूरी होती हैं। हांलाकि वन विभाग अभी भी इसे एक 'संरक्षण' उपकरण के रूप में देखता है, लेकिन इन क्षेत्रों पर CFR प्राप्त करने वाले समुदाय इसे वन विभाग द्वारा वनों को अपने नियंत्रण में रखने के तरीके के रूप में ही देखते हैं। इसलिए, वनाधिकार अधिनियम की धारा 5 के सिद्वांतों के अनुरूप, इस दिशानिर्देश के आधार पर समुदाय वनों के औपनिवेशिक काल से चले आ रहे प्रबंधन के तरीकों में अब ढांचागत बदलाव ला सकते हैं।

- जिन गांवों में CFR अधिकारों को मान्यता नहीं मिली है, वहां ज़िला स्तरीय कमिटी के सचिव लिखित में इसका कारण देंगे।
- CFR दावों, CFR अधिकार पत्रों, और कितनी वन भूमि पर CFR अधिकार दिए गए हैं, इसके अलग अलग आंकड़े राज्य सरकारों को MoTA को दी जाने वाली अपनी मासिक और त्रैमासिक रिपोर्टों में देने होंगे।

(ङ) धारा 3(1)(e) में दिए गए आवासीय अधिकारों को मान्यता देने संबंधी एक स्पष्टीकरण[11] में, MoTA 23 अप्रैल 2015 को सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि उन्हें अति संवेदनशील आदिवासी समुदायों के आवासीय अधिकारों को मान्यता देने के हर संभव प्रयास करें और अपनी रिपोर्टों में इसके लिए उठाए गए विशेष कदम से MoTA को अवगत कराएं। इस विषय में जारी किए गए कुछ स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं :

- हांलाकि 'आवास' शब्द का शाब्दिक अर्थ घर या घर की सुविधा होता है, जैसा कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, लेकिन वनाधिकार अधिनियम की धारा 2(h) में इसकी विस्तृत परिभाषा की गई है और धारा 3(1)(e) के अंतर्गत भी और इस शब्द की उसी अनुसार समझ बनानी होगी।
- धारा 12(1) के अंतर्गत आवश्यक है कि वनाधिकार कमिटि सुनिश्चित करे कि इन समुदायों से प्राप्त दावों का सत्यापन उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया जाए।
- आवासीय क्षेत्र और बसाहट पर सामुदायिक अधिकारों की मान्यता उन क्षेत्रों पर दी जाए जो विशिष्ट रूप से संवेदनशील आदिवासी समूहों द्वारा पारंपरिक रूप से आवास, आजीविकाओं, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, पवित्र, धार्मिक व अन्य कामों के लिए उपयोग किए जाते हों।
- ज़िला स्तरीय कमिटि की ज़िम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि इन समुदायों के सभी दावे नियम संख्या 8 के अनुरूप संबोधित किए गए हैं, और यह भी कि, नियम संख्या 12(B)(1) के अंतर्गत, इन समूहों के आवासीय अधिकार उनकी पारंपरिक संस्थाओं के साथ चर्चा करके, उनकी ग्राम सभाओं के अस्थायी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए दिए जाएं।
- जहां दावे दर्ज किए गए हैं, वहां क्स्ब की ज़िम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि उन्हें मान्यता मिले और उन क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाए।

(च) 28 अप्रैल 2015 को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के नाम लिखे एक पत्र[12] में,

- MoTA ने ज़ोर दिया है कि वार्ड सदस्यों से लेकर DLC के सदस्यों तक, सभी अधिकारियों को FRA को प्राथमिक रूप से लागू करने का प्रशिक्षण दिया जाए।
- इस पत्र में, FRA की नियम संख्या 13 के अंतर्गत, जानकारी के अन्य स्रोतों से संपोषित भू–संदर्भित आंकड़े तैयार करने के लिए कहा गया है, जिससे कि FRA के अंतर्गत जिन क्षेत्रों पर अधिकार दिए जा सकते हैं उनका मानचित्रण हो जाए, और गलत दावों या दावों को निरस्त करने की संभावनाओं को खत्म किया जा सके।

[11] http://www.tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201504230254287991144clarification.pdf
[12] http://www.tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201504290209092880920Doc1.pdf

- इस पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी वन ग्रामों, आवासों, असर्वेक्षित गांवों को चित्रित किया जाए।
- MoTA ने कहा है कि यह सभी गतिविधियां इसी वर्ष में पूरी कर ली जानी चाहिए।

(छ) 10 जून 2015 के पत्र[13] में MOTA ने उन 9 राज्यों के लिए 'सुझावित योजना और समयसारणी' जारी की, जो वनाधिकार अधिनियम को 'लागू करने में पीछड़ रहे हैं', जिसमें शामिल हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केरल। इस पत्र के अनुसार, राज्य ज़मीन स्तरीय सरकारी विभागों में अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरुकता बढ़ाने, हर ज़िले में ग्लोबल पोज़िशनिन्ग सिस्टम' (GPS) जैसी तकनीकों के माध्यम से वनाधिकार अधिनियम के लिए 'संभावित क्षेत्रों' की पहचान करने, और वर्ष के अंत तक अधिकारों को मान्यता देने के विषय में निर्णय लेने के लिए यह राज्य 'समयबद्ध योजना' बना सकते हैं। मंत्रालय ने इन राज्यों में आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को राज्यों की इस योजना को लागू करने के लिए संसाधन और प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में चिह्वित किया है। मंत्रालय ने समयबद्ध तरीके से सभी प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं, इसकी जांच और इसे सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया है; और यह भी स्पष्ट किया है कि योजना और समयबद्धता को दावेदारों को उनके वनाधिकारों से वंचित रखने के लिए उपयोग ना किया जाए।

(ज) वनाधिकार अधिनियम को अभियान के रूप में लागू किए जाने के प्रयास में, MOTA ने 27 जुलाई 2015 को कुछ दिशानिर्देश[14] जारी किए। सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को संबोधित, इन दिशानिर्देशों में तकनीकों के उपयोग, विशेषकर जियो रैफरेंसिंग (Geo referencing), के माध्यम से संभावित क्षेत्रों के चयन और वनाधिकारों के अंतर्गत अस्वीकृत किए गए दावों को फिर से जांचने पर ज़ोर दिया गया है।

(झ) MOTA ने 10 अगस्त 2015 को एक दिशानिर्देश जारी किया जो जनजातीय कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ज़िला कलेक्टरों को संभोधित है। यह पत्र 27 जुलाई 2015 को छत्तीसगढ़ के जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा जारी एक पत्र[15] के संदर्भ में है, जिसमें सभी ज़िला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि 15 अगस्त 2015 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं से यह लिखित में लें कि उनके गांवों में सभी व्यक्तिगत/ सामुदायिक वन अधिकार दावों की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। इस दिशानिर्देश में MOTA ने स्पष्ट किया है कि वनाधिकार अधिनियम को समयबद्ध और सक्रियतापूर्वक लागू करने पर ज़ोर दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि इस कानून के प्रावधानों और दी गई प्रक्रिया व नियमों को अनदेखा किया जाए। दिशानिर्देश में यह भी लिखा है कि :

- वनाधिकार अधिनियम संशोधित नियम, 2012 के अंतर्गत, धारा 4(2) में अपेक्षा की गई है कि ध्यान और मन लगाकर, उपयुक्त कोरम और भागीदारी के माध्यम से अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी की जाए।
- अधिकारों को मान्यता देने और निहितार्थ बनाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कई कदम उठाने ज़रूरी हैं। यह हैं – दावेदारों को स्पष्ट बताना कि उनके दावे किस आधार पर नामंजूर किए जा रहे हैं; उन्हें अपील करने और नामंजूर किए गए दावों का पुनर्निरीक्षण करने के लिए उचित उमय और अवसर देना;

[13] http://tribal.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/FRALettres/letterToCS.pdf

[14] http://tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201507301119105175071merged_document.pdf

[15] http://fra.org.in/ASP_OrderCiculars_UploadFile/%7B08de7ce8-4769-4646-8202-af5af508f138%7D_Gram%20Sabha-FRA.pdf

अधिकारों के रिकार्ड में वन तथा राजस्व नक्शों के अंतर्गत सीमाएं स्पष्ट करना; और जहां कोई सामुदायिक दावा दर्ज ना किया गया हो, वहां DLC उसका कारण बताए।

MOTA ने ऐसे ही दिशानिर्देश[16] झारखंड के मुख्य सचिव को भी 12 अगस्त 2015 को जारी किए

- (ञ) MOTA ने 20 अगस्त 2015 को उड़ीसा के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र[17] में उड़ीसा सरकार से 21 जुलाई 2015 को SLMC द्वारा लिए गए विवादित निर्णय को वापस लेने को कहा। SLMC द्वारा निर्णय लिया गया था कि संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत बनी वन सुरक्षा समितियों को ही सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए जाएंगे; और यह भी कि DLC और SDLC में पुलिस अधीक्षक तथा उप–संभागीय पुलिस अधिकारियों को भी सदस्यों के रूप में शामिल किया जाए। पत्र में लिखा है :
- वनाधिकार अधिनियम संशाधित नियम 2012 की धारा 8 (प) के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को दिए गए हैं ना कि वन सुरक्षा समितियों को। इसके अतिरिक्त, धारा 4 (प) (म) ग्राम सभा को अधिकार है कि वह वन्यजीवों, वनों और जैविक विविधता के संरक्षण के लिए कमिटि गठित करे। वनाधिकार अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि क्स्ब उन कारणों को रिकार्ड करे कि किसी विशिष्ट ग्राम सभा ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावे दर्ज क्यों नहीं किए हैं।
- वनाधिकार अधिनियम 2006 और संशाधन नियम 2012 में स्पष्ट रूप से SDLC और DLC के गठन और सदस्यता की प्रक्रिया दी गई है। इन कमिटियों में किसी अन्य या अतिरिक्त सदस्य को शामिल करने का ना तो कोई प्रावधान है और ना ही कोई गुंजाइश। इसके अतिरिक्त, यह कमिटियां ग्राम सभा द्वारा पारित वन अधिकार दावों के निर्धारण और उन पर निर्णय लेने का काम करती हैं और इसलिए अधिनियम में स्पष्ट किए गए सदस्यों के अलावा किसी और सदस्य को इसमें शामिल करना अधिकारों के निस्तारण की प्रक्रिया को संवेदनशील बना सकता है

(ट) 22 सितंबर 2015 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र[18] में, MOTA ने पूरे देश में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने के लिए अभियान स्तर पर काम करने की ज़रूरत को दोहराया है। MOTA ने कहा, कि हांलाकि व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में कुछ सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया कमज़ोर है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह संसाधन लगभग 20 करोड़ वन आधारित समुदायों के जीवन और आजीविकाओं को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।

इस पत्र में MOTA ने निर्देश दिया है कि :

- जल्द से जल्द संभावित सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्रों का आकलन किया जाए और इसके लिए Georeferencing का उपयोग किया जाए।
- इन क्षेत्रों के आकलन के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण 2009, और 2001 तथा 2011 के सेन्सस रिपोर्ट के लिए उपयोग की गई प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन, चूंकि इन रिपोर्टों में केवल उन गांवों को

[16] http://tribal.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/jharkhan.pdf

[17] http://fra.org.in/ASP_OrderCirculars_UploadFile/%7B805f9005-daf4-44b1-adcf-86df7438e603%7D_Proceedings%20on%208th%20SLMC%20Meeting_Odisha.pdf

[18] http://tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201510270348092991795FRA.pdf

षामिल किया गया था जिनकी राजस्व सीमा के अंदर वन भूमि मौजूद थी, इसलिए इनसे संभावित सामुदायिक वन क्षेत्रफल का अनुमान कम लग पाएगा, जबकि असल में यह क्षेत्रफल काफी ज़्यादा हो सकता है।

- अगले एक माह के अंदर सभी राज्यों को यह आकलन पूरा कर लेना होगा और क्स्ब को निर्देश दिए जाएं कि वन आधारित समुदायों वाले सभी गांवों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने हैं।

(ठ) 8 अक्तूबर 2015 को, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों को जारी किए गए एक मेमोरेन्डम[19] में MoTA ने दार्जीलिंग के गोरखालेंड टैरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) में वनाधिकार अधिनियम लागू करने के लिए अधीकृत संस्था के बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि :

- दार्जीलिंग में पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम, 1973 के अंतर्गत परिभाषित मौज़ा को वनाधिकार अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत ग्राम सभा का दर्ज़ा दिया जा सकता है, जो कि वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
- GTA के चुने हुए प्रतिनिधि (GTA अधिनियम, 2011 के अंतर्गत) SDLC और DLC बनाने के लिए ब्लॉक एवं ज़िला पंचायत स्तर के सदस्यों की भूमिका निभा सकते हैं।

(ड) 27 नवंबर 2015 को MoTA ने MoEFCC तथा महाराष्ट्र के प्रमुख वन संरक्षक के नाम एक ऑफिस मेमोरेन्डम[20] जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र ग्राम वन नियम, 2014 (MVFR) को लागू किए जाने के संबंध में कहा गया है कि :

- राज्य सरकारों को पूरी स्वतंत्रता है कि वे सभी दावेदारों और अधिकार धारकों को वनाधिकार अधिनियम में दिए गए अधिकारों से बढ़कर अधिकार/विशेषाधिकार/उपयोग अधिकार दे सकती हैं। लेकिन, यह एक बार वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही किया जा सकता है। चूंकि महाराष्ट्र में अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया जारी है, विशेषकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के संदर्भ में, इसलिए राज्य सरकार वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों से बढ़कर अधिकार देने का काम इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने और ग्राम सभा में रिकार्ड हो जाने के बाद कर सकती है।
- अगर किसी भी कानून के प्रावधान वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को नामंजूर करते हैं, या उन्हें वापस करवाते हैं, तो वह कानून वनाधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता है। क्योंकि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को, इसके बाद आए कानूनों या अफ़सरशाही के निर्देशों के अंतर्गत न तो हस्तांतरण, न वापस और न ही नामंजूर किया जा सकता है।

[19] http://www.tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201512170455460511754OM(1).pdf

[20] इस मेमोरेन्डम की प्रति भारत जन आंदोलन के महेश रावत ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त की। इसे CFR-LA के लिस्ट–सर्व पर 7 अक्तूबर 2015 को साझा किया गया था। MoTA ने इसे सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध नहीं कराया है।

- वनाधिकार अधिनियम की प्रस्तावना को अगर अधिनियम की धारा 3 (1) (प) और धारा 5 तथा संशोधित नियम, 2015 के नियम संख्या 4 (1) (म), (f) के साथ पढ़ा जाए तो उसमें लिखा है कि वनाश्रित समुदायों की ग्राम सभा को अधीकृत किया गया है कि वह वनों के संरक्षण को मज़बूत करने के लिए सतत उपयोग, जैवविविधता संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाने के साथ साथ आजीविकाएं और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। लेकिन, वनाधिकार अधिनियम के इन प्रावधानों और MVFR के कुछ प्रावधानों के बीच समानता है। ज़रूरी है कि वन्यजीवों, वनों और जैवविविधता की सुरक्षा के लिए एक प्रशासन तंत्र बनाया जाए, जिससे कि वनाधिकार अधिनियम संशोधित नियम 2014 की नियम संख्या 4 के अनुरूप, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के संरक्षण के काम को वन विभाग के प्रबंधन/कार्यकारी/सूक्ष्म योजना में शामिल किया जा सके। अतः MoEF और MoTA को मिलकर मॉडल नियम बनाने चाहिएं, जिससे कि गांव स्तरीय कमिटियां और अच्छे से काम कर सकें। जब तक यह मॉडल नियम तैयार होते हैं और उन्हें लागू किया जाता है, तब तक राज्य वन विभागों की सूक्ष्म/प्रबंधन/कार्यकारी योजनाओं को ग्राम सभाओं को दिए गए व्यक्तिगत/सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के साथ मिलाकर लागू किया जाना चाहिए।

यह मेमोरेन्डम MoTA द्वारा सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने डवज। द्वारा समय–समय पर दिए गए सुझावों को स्वीकार किया है या नहीं। संशोधित नियमों के विषय में नोटिफिकेशन जारी न किए जाने के कारण, ज़मीन पर इन नियमों को लागू करने के बारे में अस्पष्टता बनी हुई है।

(ढ) 8 दिसंबर, 2015 को जारी किए गए एक मैमोरैन्डम[21] में MoTA ने रिकार्ड किया है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है अगर भारतीय वन (महाराष्ट्र)(ग्राम वनों के अर्पण, प्रबंधन और निराकरण के नियमन हेतु) नियम, 2014 (VFR) लागू किए जाते हैं, बशर्ते कि इन नियमों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएं

- FRA के अंतर्गत पहले से दिए जा चुके अधिकारों से संबंधित भविष्य में उठने वाले मुद्दों का FRA के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रबंध किया जाएगा और जिन लोगों के अधिकारों को मान्यता मिलना बाकी है या जो लोग भविष्य में दावे दर्ज करना चाहेंगे, उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी।
- नियमों में यह वाक्य जोड़ा जाए – '. . .जहां कोई अधिकार के दावे दर्ज नहीं किए गए हैं, या बाकी नहीं हैं या ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया है कि भविष्य में किसी भी अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वनवासी द्वारा इन अधिकारों का दावा नहीं किया जाएगा'। MoTA ने MoEFCC से कहा है कि वह वन संसाधनों के सतत प्रबंधन के उद्देश्य से डवज। को चर्चा में शामिल रखते हुए नियमों के संहितिकरण (codification) की प्रक्रिया शुरू कर दे।

[21] यह पत्र भारत जन आंदोलन के महेश राउत द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त की गई जानकारी में मिला। इसकी प्रति के लिए संपर्क करें maheshraut.work@gmail.com

(ण) MoTA द्वारा 14 दसंबर को हिमाचल प्रदेश के जनजातीय कल्याण विभाग को लिखे एक पत्र में, FRA की धारा 3(2) के अंतर्गत वन भूमि हस्तांतरण और CFRs को मान्यता दिए जाने के दिशानिर्देश[22] दिए गए हैं।

- धारा 3(2) के अंतर्गत दी गई सुविधाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति लिए बिना ही किए जा सकते हैं, बशर्ते कि इन सुविधाओं के लिए 1 हैक्टेयर वन भूमि से कम क्षेत्र की आवश्यकता हो, ग्राम सभा द्वारा इसका अनुमोदन किया गया हो, इसके लिए 75 से ज़्यादा पेड़ों को काटने की आवश्यकता न हो, इनका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जा रहा हो और यह FRA में दी गई 13 गतिविधियों में शामिल हो।
- इन सुविधाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण FRA के अंतर्गत अधिकारों का मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया के साथ–साथ किया जा सकता है। लेकिन, यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी वनवासी के अधिकारों पर प्रभाव न पड़े या फिर उसे इन गतिविधियों के लिए वन भूमि हस्तांतरण के कारण विस्थापित न किया जा रहा हो। इसलिए, इन सुझावों के साथ ही, ग्राम सभा को सुनिश्चित करना होगा कि अधिकारों पर प्रभाव न पड़े और वह एक प्रमाणपत्र दे कि हस्तांतरण से कोई अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे।
- जिन अधिकारों की पहले ही बंदोबस्ती की जा चुकी है ओर उन्हें अधिकारों के रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका है, या जो अधिकार वाजिब–उल–अर्ज में दाखिल हैं, उन्हें भी FRA की धारा 3(1)(र) के अंतर्गत मान्यता देकर रिकार्ड करना होगा, क्योंकि वाजिब–उल–अर्ज के अंतर्गत दी गई रियायतें, जैसे कि सूक्ष्म वनोपज पर रियायत, को अब FRA के अंतर्गत अधिकारों के रूप में मान्यता दे दी गई है। अधिकारों के रिकार्ड में संशोधन किया जाए और FRA के अंतर्गत अधिकारपत्र जारी किए जाएं।

1.2 MoTA और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दफ्तरों से वन भूमि हस्तांतरण पर

पिछले वर्षों में, MoEFCC ने अगस्त 2009 के परिपत्र में दिए गए प्रावधानों का प्रभाव कम करने के कई बार प्रयास किए। समय–समय पर, डवज। ने अपने परिपत्रों के ज़रिए ज़ोर दिया कि वन हस्तांतरण की मंजूरी की प्रक्रिया में FRA के प्रावधानों में कोई छूट नहीं दी जा सकती[23]। लेकिन, हाल में MoTA द्वारा जारी किए गए परिपत्र में MoTA ने लंबे समय से चले आ रहे अपने ही नज़रिए पर विरोधाभास खड़ा कर दिया।

MoTA ने 24 फरवरी 2015 के एक मैमोरैन्डम[24] के ज़रिए अनुमति दे दी है कि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत, पूर्वोत्तर राज्यों में 'रणनीतिक' सैन्य परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी जा सकती है यदि कलैक्टर प्रमाणपत्र दे कि हस्तांतरित होने वाली भूमि पर FRA की कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

MoEF ने इसे यह कहते हुए सही ठहराया है कि, हांलाकि किसी भी प्रकार की परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण को FRA के अंतर्गत अधिकारों को मान्यता देने और उनकी बंदोबस्ती करने से छूट नहीं है,

[22] http://www.tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201512170459205254158LettertoACHimachal.pdf

[23] पिछले परिपत्रों की सूचि और उन पर रिपोर्ट के लिए देखें : http://www.kalpavriksh.org/images/LawsNPolicies/CITIZENSREPORT2015.pdf

[24] http://www.tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201504230253342057138OM.pdf

लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में, ज़्यादातर वन भूमि वैसे भी समुदायों के नियंत्रण और स्वामित्व में है, और आरक्षित वनों में पहले ही अधिकारों की बंदोबस्ती की जा चुकी है। मैमोरैन्डम में यह भी कहा गया है कि उचित मुआवज़ा और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCT-LARR) के अंतर्गत, यदि लोगों के अधिकारक्षेत्रों के वनों का परियोजना के लिए हस्तांतरण किया जाना है, तो 'वन अधिकार धारकों' को उचित मुआवज़ा दिया जाए। यह मैमोरैन्डम MoTA द्वारा वन हस्तांतरण के संदर्भ में FRA को लागू करने के संदर्भ में इससे पहले लिए गए निर्णय की उल्टी दिशा में जाता है।

ओडिशा के अंगूल की एक ओपन कास्ट खदान: मीनल तत्पति

MoTA द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण FRA के प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि FRA एक केन्द्रीय कानून है जिसमें वनों में रहने वाले सभी समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता और उनकी बंदोबस्ती के प्रावधान हैं, विशेषकर, विकास परियोजनाओं के संदर्भ में। MoTA का यह परिपत्र उत्तर–पूर्वी राज्यों के समुदायों के, उनके पारंपरिक वन क्षेत्र/भूमि पर होने वाली किसी भी प्रकार की विकास गतिविधि के संदर्भ में 'पहले से जानकारी के आधार पर दी गई स्वीकृति' देने के अधिकार का उल्लंघन करता है।

1.3 अन्य विभागों से

28 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र[25] में आदेश दिया गया है कि किसी भी बाघ आरक्षित क्षेत्रों के निर्देशक अति–संवेदनशील बाघ आवास क्षेत्रों में (वर्ष 2006 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V(4)(1) के अंतर्गत) वन समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया नहीं चलाएंगे। इस परिपत्र में इसके पीछे यह कारण दिया गया है कि चूंकि अति–संवेदनशील बाघ आवास क्षेत्रों (CWH)[26] के संदर्भ में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में वन अधिकारों की बंदोबस्ती नहीं की जा सकती।

आदिवासी समूहों ने इस आदेश की पुरजोर निंदा की है[27] क्योंकि यह परिपत्र न सिर्फ FRA का उल्लंघन करता है, बल्कि WLPA[28] की भी अवहेलना करता है।?

2. नियम के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले घटनाक्रम

2.1 वनीकरण से संबंधित नीतियां

(i) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगस्त 2015 में दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया है जिसमें प्रस्ताव है कि देश के 'क्षतिग्रस्त वन' श्रेणी के 6 करोड़ 90 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्रों को राज्य, वन विभाग और कारपोरेशनों के बीच अनुबंधों के ज़रिए निजि कंपनियों को सौंप दिया जाए। इससे निजि कंपनियों की निजि स्थलों को बेहतर बनाने और उनके पुनर्जनन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ–साथ उद्योगों के लिए विभिन्न वन उत्पादों की ज़रूरतरें पूरी की जा सकेंगी। इस मसौदे का उद्देश्य है कि उद्योगों को लीज़ पर दिए गए वनों का 85–90 प्रतिशत क्षेत्र वे पौधारोपण के लिए उपयोग करें और स्थानीय समुदायों के उपयोग के क्षेत्र को लीज़ पर दी गई कुल भूमि के 10–15 प्रतिशत क्षेत्र तक सीमित किया जाए, जहां से वे लघु वनोपज इकट्ठा कर सकते हैं।[29] कई नागरिक संगठनों, जन आंदोलनों और वन आधारित समुदायों के प्रतिनिधियों ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह दिशानिर्देश वनाधिकार अधिनियम और पेसा के प्रावधानों और भावना के खिलाफ़ हैं।[30]

(ii) क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 की अधिसूचना अगस्त 2016 में की गई। इस अधिनियम में प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूति वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य व अन्य राशियों, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत उपभोक्ता एजेंसियों से प्राप्त की गई हों, से एकत्रित हुए कोष के उपयोग के लिए प्रणालियां और संस्थान स्थापित करने के प्रावधान हैं।[31] इस अधिनियम में प्रावधान है कि कृत्रिम पुनर्जनन, सहयोगप्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों के संरक्षण, वन संबंधी बुनियादी ढांचों के विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन्यजीव संरक्षण व अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए कोष की राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत, कोष का 90 प्रतिशत हिस्सा राज्यों/केन्द्र–शासित प्रदेशों द्वारा (एक शासन निकाय, संचालन समिति और कार्यकारी कमिटि के माध्यम से) उपयोग किया जा

[25] इस आदेश को यहां देखा जा सकता है : http://fra.org.in/ASP_OrderCiculars_UploadFile/%7B87628850-a404-4179-b843-aba8f1b37c2e%7D_Conferring%20rights%20under%20FRA%20in%20critical%20tiger%20habitats_28th%20Mar17.pdf

अति–संवेदनशील वन्यजीव आवास क्षेत्र की FRA धारा 2 (b) में दी गई परिभाषा इस प्रकार है : '... राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के ऐसे क्षेत्र जहां विशिष्ट और स्पष्ट रूप से, केस–दर–केस वैज्ञानिक और निष्पक्ष आधार पर स्थापित किया जा चुका है कि ऐसे क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से मानव–गतिविधि रहित रखा जाना चाहिए, जिसका निर्धारण और अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के माध्यम से, एक विशेषज्ञ कमिटि (जिसमें सरकार द्वारा स्थानीय विशेषज्ञ और आदिवासी कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हों) से खुली सलाह प्रक्रिया के बाद किया जाए...।'

[27] देखें : http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/tribal-welfare-organisations-incensed-by-ntca-directive-on-fra-in-critical-tiger-habitats/article18150665.ece; http://www.rediff.com/news/interview/are-adivasis-being-driven-out-to-save-the-tiger/20170421.htm?sc_cid=fbshare; https://forestrightsact.com/statements/. CFR-LA द्वारा दाखिल किए गए पेटीशन यहां देखें
http://www.kalpavriksh.org/images/LawsNPolicies/PetitionagainstNTCAOrder.pdf

[28] WLPA के अनुसार, अति–संवेदनशील आवास क्षेत्र की घोषणा विस्तृत, वैज्ञानिक और निष्पक्ष अध्ययन के आधार पर सुनिश्चित किए गए क्षेत्रों के लिए ही की जानी चाहिए। और इससे अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वन समुदायों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

[29] http://indianexpress.com/article/india/indiaothers/governmentmayopendegradedforeststoprivatecompanies/
http://www.hindustantimes.com/indianews/govttoallowpvtsectortomanage40offorests/article11389622.Aspx

[30] http://kalpavriksh.org/images/FeaturedArticles/OpenletterPMafforestationofdforestsSept262015.pdf

[31] वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण को बराबर क्षेत्र की गैर–वन भूमि पर किए जाने का प्रावधान है, जिसे राज्य वन विभाग के स्वामित्व में हस्तांतरित करके संरक्षित वन घोषित किया जाए। जहां गैर–वन भूमि उपलब्ध नहीं हो, वहां प्रतिपूरक वनीकरण के लिए क्षतिग्रस्त वन भूमि का उपयोग किया जा सकता है, जिसका क्षेत्रफल हस्तांतरति वन भूमि के क्षेत्रफल से दोगुना हो, या फिर हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि और उपलब्ध गैर–वन भूमि के बीच के अंतर का दागुना क्षेत्रफल हो। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एन.गोदावर्मन बनाम भारत सरकार व अन्य [Writ Petition (Civil) No.202 of 1995] मामले में दिए गए आदेश में यह नोट किया कि एक प्रतिपूरक वनीकरण कोष स्थापित किया जाए जिसमें गैर–वन उपयोग के लिए वन भूमि हस्तांतरण करवाने वाली एजेंसियों से प्राप्त सभी राशि जमा की जाए; और प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (CAMPA)) स्थापित किया जाए जो इस कोष का प्रबंधन करेगा। मई 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने ज़ोर दिया कि CAMPA ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया और आदेश दिया कि CAMPA के शुरू होने तक एक अनौपचारिक निकाय का गठन किया जाए। यह अनौपचारिक निकाय राष्ट्रीय स्तर पर गठित किया जाएगा। CAF विधेयक, 2015 का प्रस्ताव इसीलिए रखा गया जिससे कि पिछले वर्षों में अनौपचारिक ब।डच। में एकत्रित हुई राशि का उपयोग किया जा सके। (देखें : A compromised compensation: The CAF bill 2015 and PSC report: यह Available at: http://cseindia.org/userfiles/campa-factsheet-final-2015.pdf पर उपलब्ध है)

सकता है, और बाकी 10 प्रतिशत राशि को राष्ट्रीय कोष में जमा करना होगा, जहां केन्द्र सरकार का (एक शासन निकाय के माध्यम से, जिसे एक कार्यकारी कमिटि सहयोग देगी, जांच/निगरानी समूह होगा और प्रशासनिक सहयोग प्रणाली होगी) इस राशि पर पूरा नियंत्रण होगा। प्रतिपूरक वनीकरण, जैसा कि वन संरक्षण अधिनियम में परिकल्पना की गई है, का असल मतलब है कि किसी भूखंड पर कृत्रिम वनीकरण करना, जिससे कि गैर–वानिकी उपयोग (जिसमें बुनियादी ढांचों का निर्माण, खनन, सड़क निर्माण आदि शामिल है) के लिए हस्तांतरित किए गए वनों की कमी को पूरा किया जा सके और उनकी 'क्षतिपूर्ति' की जा सके। मूल रूप से, यह ऐसी गतिविधियों के लिए हस्तांतरित किए जाने वाले असल वन क्षेत्र को कम करने/नियंत्रित रखने को प्रोत्साहन नहीं देता। इसके अतिरिक्त, रिपोर्टें दर्शाती हैं कि इस अधिनियम के पारित होने से पहले की CAMPA प्रणाली में कई कमियां थीं, जैसे कि असल में वानिकी करने के प्रयास न के बराबर थे, जबकि जो पैसा इसके लिए आता था, उसे गैर–पारदर्शी तरीके से और मनमाने तरीके से खर्च कर दिया जाता था[32]। इसके अलावा, कई वन हस्तांतरण और प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि की पहचान करने तथा उसे प्राप्त करने के मामलों में, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया को नज़रंदाज़ किया गया है, न ही इन ज़मीनों पर आश्रित समुदायों की सहमति ली गई है, जैसा कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अगस्त 2009 के परिपत्र में अनिवार्य ठहराया गया है। अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों को विशेष रूप से संबोधित नहीं किया गया है :

- इस विधेयक में ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम लागू करना चाहती है, वहां ग्राम सभा की स्वीकृति लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अनुदान और कार्यान्वयन का जो ढांचा प्रस्तावित किया गया है, वह FRA के अंतर्गत स्थापित किए गए ढांचे के बिल्कुल विपरीत है। इस विधेयक में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के CAMPA प्राधिकरणों में वन विभाग का दबदबा है, जिसमें आदिवासियों या वन समुदायों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
- देश में FRA के क्रियान्वयन की गति अत्यं धीमी होने के कारण, ज़्यादातर ग्राम सभाओं को या तो दावे दर्ज करने का अवसर ही नहीं मिला है, या उनके दावे अनिर्णित पड़े हुए हैं। चूंकि अधिनियम में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति लेने का कोई प्रावधान नहीं है, इसके कारण वन समुदायों और आदिवासियों की आजीविकाओं पर और भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।

2.2 वन्यजीव कार्ययोजना का प्रारूप

3 फरवरी को MoEFCC ने वन्यजीव कार्यकारी योजना 2017–2031 के मसौदे[33] पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं। यह योजनाएं भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा लागू की जाती हैं। इस मसौदे में स्वीकार किया गया है कि संरक्षण में लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही यह भी माना गया है कि लोगों को संरक्षण प्रयासों

[32] http://www.cag.gov.in/sites/default/files/audit_report_files/Union_Compliance_Civil_Compensatory_Afforestation_21_2013.pdf
[33] http://envfor.nic.in/sites/default/files/NWAP%20-COMMENTS_0.pdf

से बाहर रखने की नीतियों के कारण संसाधनों पर निर्भर समुदायों के अधिकार असुरक्षित हो गए। लेकिन, FRA और PESA जैसे कानूनों की इन मुद्दों के समाधान में भूमिका को मानने के बजाए, यह योजना वन विभाग के प्रभुत्व को बनाए रखने वाले प्रयासों, जैसे कि ईको–विकास कमिटियों और संयुक्त वन प्रबंधन कमिटियों द्वारा संरक्षण किए जाने पर ज़ोर देती है। हांलाकि योजना के मसौदे में WLPA के अंतर्गत और ज़्यादा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र बनाने की बात कही गई है, जिनका सामुदायिक अधिकारों पर वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के मुकाबले कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह मसौदा यह कहने से चूक गया कि अधिकारों को मान्यता देने और बंदोबस्ती की प्रक्रिया FRA के अंतर्गत की जानी चाहिए, क्योंकि FRA के लागू होने केक बाद WLPA के प्रावधानों के बजाए FRA के प्रावधानों को मान्यता है। जहां एक ओर यह कहा गया है कि संरक्षण में लोगों की और अधिक भागीदारी की आवश्यक्ता है, वहीं यह FRA के CFR प्रावधानों के बारे में लिखने से चूक गया, जिनसे जन–आधारित संरक्षण को लागू करने में मदद मिल सकती थी। इस मसौदे पर टिप्पणियां भेजने की तारीख फरवरी 2016 तक ही थी।

2.3 वन्यजीव कार्ययोजना का प्रारूप

23 सितंबर 2016 को, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा दस सदस्यों की एक कमिटि गठित की गई है जिसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन तथा संशोधन से जुड़े अन्य पहलुओं पर विचार करना है।

2.4 राष्ट्रीय वन नीति का पुनरीक्षण

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के संशोधन के लिए कार्यशालाएं और चर्चाएं की जा रही हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के अंतर्गत सेन्टर फॉर पॉलिसी चेन्ज को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के 'प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का सशक्तिकरण योजना' के तहत यह समीक्षा करने के लिए चुना है[34]। अगस्त 2015 से मार्च 2016 के बीच दो राष्ट्रीय और छः राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें विभिन्न दावेदारों के साथ नीति पर चर्चा की गई[35]। जहां इन चर्चाओं में वन विभाग, अध्ययनक्षेत्र, उद्योग और कुछ गैर–सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे, वहां स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, और न ही संबंधित स्थानीय समुदायों के साथ अलग से चर्चाएं करके उनके विचार शामिल किए गए। MoEFCC की वैबसाइट पर एक दस्तावेज़ शीर्षक, 'राष्ट्रीय वन नीति 2016 : सशक्त समुदाय, स्वस्थ पारिस्थितिकीय तंत्र, सुखी देश'[36] को आम जनता की टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया गया था, लेकिन जल्द ही उसे वहां से यह कारण देते हुए हटा लिया गया कि अनजाने में IIFM द्वारा किए गए एक अध्ययन को नीति के मसौदे के रूप में वैबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया था[37]। इस नीति का अंतिम मसौदा अभी तक पेश नहीं किया गया है।

[34] http://www.freepressjournal.in/needtoreviewforestpolicyinlightofnewdevelopments/

[35] इन कार्यशालाओं की रिपोर्टें यहां उपलब्ध हैं : http://iifm.ac.in/node/642

[36] http://www.moef.nic.in/sites/default/files/Draft%20National%20Forest%20Policy%2C%202016.pdf

[37] http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=146495&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

2.5 CFR प्रबंधन और अभिशासन के दिशा निर्देश

27 नवंबर 2015 को MoTA द्वारा MoEFCC तथा महाराष्ट्र वनों के प्रमुख वन संरक्षक को जारी किए गए एक ऑफिस मेमोरेन्डम में[38] MoTA ने सुझाव दिया कि MoEF और MoTA के बीच एक संयुक्त प्रक्रिया के तहत् मानक नियम तैयार किए जाएं जो ग्राम स्तर पर CFR संरक्षण और प्रबंधन कमिटियों का बेहतर संचालन करने में मदद करें। यह मेमोरेन्डम असल में महाराष्ट्र ग्राम वन नियम, 2014 (MVFR) के क्रियान्वयन के संबंध में था। इसके बाद, MoTA और MoEFCC दोनों ने CFR प्रबंधन और प्रशासन दिशानिर्देशों के कई प्रारूप तैयार किए, लेकिन इनमें से कोई भी सार्वजनिक स्तर पर पेश नहीं किया गया है।

यहां पर यह नोट करना ज़रूरी है कि MoTA पहले ही, 23 अप्रैल 2015 को FRA की धारा 12 के अंतर्गत CFR प्रबंधन के संदर्भ में संक्षिप्त दिशानिर्देश जारी कर चुका है (देखें : MoTA द्वारा जारी किए गए पत्र, परिपत्र, दिशानिर्देश, आदेश और मेमोरेन्डम विषय पर ऊपर दिया गया खंड)।

3. FRA के क्रियान्वयन पर असर करने वाले नए अधिनियम

3.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, २०१५

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 संसद में 21 दिसंबर को पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को (उसकी मंशा के बिना, या उस व्यक्ति की सहमति के बिना, या फिर उस व्यक्ति को डरा कर सहमति ली गई हो), किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, गलत कारणों से उसकी ज़मीन या घर से वंचित करना या उसके अधिकारों से वंचित रखना, जिसमें वन अधिकार शामिल हैं (वनाधिकार अधिनियम की धारा 3 (1) के अंतर्गत दिए गए अधिकार), तो इसके लिए 6 माह से 5 वर्ष तक की जेल की सज़ा हो सकती है, और उसके अतिरिक्त जुर्माना भी।

3.2 भारतीय वन (महाराष्ट्र) (ग्राम वनों के अभिहस्तांकन, प्रबंधन और निराकरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०१५ या महाराष्ट्र ग्राम वन अधिनियम २०१५

- भारतीय संविधान की धारा 244 के अंतर्गत, यह नियम उन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होते जहां पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित) अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होते हैं।
- यह नियम अनुसूचित जनजाति व अन्य वन समुदाय (अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 व उसके नियमों के अंतर्गत, पहले से मान्यताप्राप्त और निहित तथा दावा किए गए अधिकारों को दबा नहीं सकते।

[38] यह मेमोरेन्डम भारत जन आंदोलन के महेश राउत द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त किया गया। MoTA ने इसे सार्वजनिक स्तर पर पेश नहीं किया है। देखें : http://fra.org.in/ASP_OrderCiculars_UploadFile/%7B34962757-68d0-46a1-88dc-3b51b3b9b18e%7D_Memorandum%20to%20Maharashtra%20Government%20regarding%20VFR_27th%20Nov15).pdf

3.3 मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम

मध्य प्रदेश वन विभाग ने मध्य प्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 अधिसूचित कर दिए हैं।[39] इन नियमों के अंतर्गत, क्षतिग्रस्त वनों को 'ग्राम वन' के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। अतः, उन सभी गांवों में, जहां संयुक्त वन प्रबंधन कमिटियां (JFMC) गठित की गई हैं, वहां ग्राम वन समितियों (ग्राम JFMC) को सूक्ष्म वनोपज के कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। इसके बाद, 20 जून 2015 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बांस निवेशकों के साथ हो रही एक बैठक में घोषणा की कि राज्य में 36,000 वर्ग कि.मी क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र को बांस पैदा करने के लिए निवेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा।[40] इन नियमों के विश्लेषण से पता चलता है कि हांलाकि इनमें आजीविका की ज़रूरतों, सामुदायिक अधिकार और गौण वनोपज की परिभाषाएं तो वनाधिकार अधिनियम के अनुरूप हैं, लेकिन यह नियम असल में वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के पूरी तरह से विरुद्ध हैं। जहां वनाधिकार अधिनियम की कोशिश है कि वनों पर से वन विभाग का एकाधिकार हटाया जाए और प्रबंधन अधिकार देते समय वन प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाया जाए, वहां यह नियम सभी प्रकार की वन भूमि को वन विभाग के प्रशासन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का उपयोग किया जाएगा जो कि वनों का प्रबंधन वन विभाग के नुस्खों के अनुरूप करेंगी। इसके अलावा, इन दोनों नियमों में प्रावधान किया गया है कि संयुक्त वन प्रबंधन समितियां औद्योगिक इकाइयों के साथ अनुबंध कर सकती हैं। इन नियमों का नागरिक समूहों ने कड़ा विरोध किया है, जिन्हें चिंता है कि इसके कारण ज़मीनी स्तर पर इन नियमों को लागू करने से वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिए गए सामुदायिक वन अधिकारों को लागू करने में चुनौतियां आएंगी।

3.4 खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०१५

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 को मार्च 2015 में अधिनियमित किया गया, जिसने 1957 के अधिनियम की जगह ली। इस अधिनियम का उद्देश्य है खनन को विनियमित करना और खनन के ठेके प्राप्त करने और देने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना। नए अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान नीचे दिए जा रहे हैं :

- संशोधित अधिनियम में लाइसेंस की एक नई श्रेणी लाई गई है जिसे 'पूर्वेक्षण और खनन' लीज़ कहा गया है। यह दूसरे चरण में दी जाने वाली रियायत है, जिसे पूर्वेक्षण प्रक्रियाओं के बाद खनन करने के लिए दिया जाएगा।
- खनन के लिए दिए जाने वाले क्षेत्र की अधिकतम सीमा 10 वर्ग कि.मी. तय की गई है। लेकिन केन्द्रीय सरकार अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए इस क्षेत्र सीमा को बढ़ा सकती है।
- खनन की लीज़ अब 30 साल के बदले, 50 साल के लिए मान्य होगी। इस अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले दी गई सभी लीज़ों की अवधि भी बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है। लीज़ ख़त्म होने पर उनकी नीलामी की जानी है।

[39] भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 28 के अंतर्गत।
[40] http://www.downtoearth.org.in/coverage/madhya-pradesh-s-call-to-bamboo-investors-reignites-debate-over-forest-access-50506

- इस अधिनियम के अंतर्गत दो संस्थान स्थापित करना अनिवार्य है : ज़िला खनिज फाउन्डेशन (DMF) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेशण ट्रस्ट (NMET)। DMF को राज्य सरकार द्वारा खनन प्रभावित ज़िलों में गठित किया जाना है, जिसका उद्देश्य है खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित के लिए काम करना। प्रत्येक खनन ठेकेदार या पूर्वेक्षण और खनन लीज़ धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त, 12 जनवरी से पहले के लीज़ धारकों को रॉयल्टी की 10 प्रतिशत राशि, और 12 जनवरी 2015 के बाद के लीज़ धारकों को रॉयल्टी की 30 प्रतिशत राशि DMF में जमा करनी होगी। NMET को केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय और व्यापक स्तर पर खनिजों के अन्वेशण के लिए गठित करेगी। लीज़ धारकों को रॉयल्टी की 2 प्रतिशत राशि NMET में जमा करनी होगी।

हांलाकि अधिनियम में DMF स्थापित किए जाने के माध्यम से 'लाभ बंटवारे' का अवसर दिया गया है, लेकिन लीज़ देने की प्रक्रिया अभी भी केन्द्र के हाथों में है, ऊपर से नीचे की ओर शक्ति–प्रवाह का अनुसरण करती है, जिसे नीचे से ऊपर की ओर बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। खनन लीज़ देने और उनका विस्तार करना पूरी तरह से सरकार के हाथ में है, जिसमें इन खनन परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले समुदायों से चर्चा करने का कोई प्रावधान नहीं है।

दूसरा, नई पूर्वेक्षण और खनन लीज़ के कारण वन भूमि पर FRA के काम में गंभीर बाधाएं आ सकती हैं। जैसा कि 4 जुलाई, 2014 के MoEFCC के पत्र[41] द्वारा अनिवार्य किया गया था कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत खनन के पूर्वेक्षण की पूर्व अनुमति के आवेदनों को यह साबित करना होगा कि थ्ट। की प्रक्रिया लागू की जा रही है, उन्हें भी अगस्त 2009 के MoEF के परिपत्र के बाद से इसमें छूट दे दी गई है[42]। यह स्पष्ट नहीं है कि FCA में दी गई प्रक्रियाएं फिर लीज़ के 'खनन' संबंधी पहलुओं पर लागू होती हैं या नहीं। अगर नहीं, तो खनन क्षेत्र का विस्तार थ्ट। के अंतर्गत किसी भी प्रक्रिया को चलाए बिना ही किया जा सकेगा, जिससे समुदाय तो विस्थापित होंगे ही।

16 सितंबर, 2015 को खनन मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया कि वे खनन से प्रभावित हर ज़िले में एक ज़िला खनिज फाउन्डेशन (DMF)[43] स्थापित करें। खनन मंत्रालय ने प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की घोषणा की है जिसे यह DMF लागू करेंगी, जिससे कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास एवं कल्याण परियोजनाएं लागू की जा सकें और लोगों तथा पर्यावरण पर खनन के नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम किए जा सकें[44]। लेकिन, चूंकि DMF बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के नियम अधिसूचित करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकरों को सौंपी गई है, यह देखना बाकी है कि यह संस्थान किस प्रकार काम करेंगे और इनकी कार्यवाही के माध्यम से वन समुदायों के अधिकारों को कैसे कायम रखा जाएगा।

[41] Letter No. F.No. 11-96/2009-FC: Guidelines for diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980-Special provisions for prospecting of minerals in forest areas-reg; dated 4th July 2014, sent by Director (Forest Conservation Division), Ministry of Environment, Forests and Climate Change to the Principal Secretaries of Forests, all states and union territories

[42] http://envfor.nic.in/mef/Forest_Advisory.pdf

[43] Every mining lease holder or a prospecting license-cum-mining lease holder has to in addition to the royalty pay 10% of the royalty for licences and leases granted on or after 12th January 2015, and 30% of royalty for licences and leases granted before 12th January 2015 to the District Mineral Foundation. The royalty is decided according to the Second Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. (See: http://mines.nic.in/writereaddata/UploadFile/DMF%20rates%20notification.pdf)

[44] http://mines.nic.in/writereaddata/UploadFile/Order%20-%20PMKKKY.pdf

4. FRA पर अदालतों के फेसले

4.1 सर्वोच्च न्यायालय

(i) FRA के अधिनियमित होने के तुरंत बाद, इसके विरुद्ध आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिल नाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों (ज़्यादातर सेवानिवृत्त वन अधिकारियों द्वारा) और सर्वोच्च न्यायालय (कुछ जानीमानी वन्यजीव संस्थाओं द्वारा) में कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं में, इसके अलावा कि FRA असंवैधानिक है, कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में स्थानीय समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं, और यह कि FRA को जल्दी में, वन्यजीवों पर समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने के क्या प्रभाव पड़ेंगे इस पर ध्यान न देते हुए पारित कर दिया गया है, यह भी कहा गया कि वन समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने से, झूठे दावों के कारण वन भूमि पर अतिक्रमण और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हांलाकि उच्च न्यायालयों द्वारा ज़्यादातर याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बाकी मामले खुद को हस्तांतरित करवा लिए और अब उनकी सुनवाई एकसाथ हो रही है। सर्वोच्च न्यायाल ने हाल ही, फरवरी 2016 में, मद्रास उच्च न्यायालय के 30 अप्रैल 2008 के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उसने तमिल नाडु में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरित किए जाने पर रोक लगा रखी थी, और यह भी कहा था कि उच्च नयायालय की अनुमति के बिना कोई भी अधिकारपत्र नहीं दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने, मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई रिट याचिका और आदिवासी कल्याण मंत्रालय की विशेष अवकाश याचिका की सुनवाई में यह आदेश जारी किया[45]।

(ii) मई 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन (OMC) की याचिका को रद्द कर दिया, जिसमें उसने नियमगिरी पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन के संबंध में दोबारा ग्राम सभाएं आयोजित करने पर गौर करने का आवेदन किया था। न्यायालय ने OMC को ग्राम सभाओं के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए उचित फोरम में जाने को कहा[46]। इससे पहले, ओडिशा राज्य सरकार ने MoEFCC को लिखा था कि वह कालाहांडी और रायगड़ ज़िलों की नियमगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन के प्रस्ताव को दोबारा पेश करने के लिए, फिर से ग्राम सभा करने के आदेश दे। राज्य सरकार का तर्क था कि चूंकि पहला प्रस्ताव वेदांता और OMC के बीच संयुक्त उद्यम का था (जिसे MoEFCC ने, 12 ग्राम सभाओं द्वारा खनन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2013 के आदेश के बाद अस्वीकार कर दिया था)[47] ; अब वह यह प्रस्ताव केवल OMC के माध्यम से पेश करना चाहती है क्योंकि ग्राम सभाओं ने जिस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था वह वेदांता और OMC का संयुक्त उद्यम था। OMC ने इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी।

इस आदेश के बाद, इन पहाड़ियों के निवासी डोंगरिया कोंड आदिवासियों ने अपनी मांग दोहराई कि

[45]See: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=135998
[46]http://www.business-standard.com/article/current-affairs/supreme-court-quashes-odisha-s-plea-on-niyamgiri-116050601256_1.html
[47]See: http://www.downtoearth.org.in/coverage/niyamgiri-answers-41914 and http://www.businessstandard.com/article/printerfriendlyversion?article_id=115101500923_1

पहाड़ियों को 'खनन–रहित' क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, जिससे कि उन्हें भविष्य में भी खनन प्रयासों से बचाया जा सके[48]।

(iii) सवोच्च न्यायालय में FRA के विरुद्ध कुछ वन्यजीव संस्थाओं (वाइल्डलाइफ ट्रस्ट, नेचर कन्ज़रवेशन सोसायटी और द टाइगर रिसर्च ऐंड कन्ज़रवेशन ट्रस्ट) द्वारा रिट याचिका (109/2008) के अंतर्गत 2014 में दायर किए गए अंतरिम आवेदन (IA5) की सुनवाई चल रही है। रिट याचिका वर्ष 2008 में दर्ज की गई थी, जिसका प्रमुख आवेदन था कि FRA असंवैधानिक है और संसद की कार्यनिर्वाह–क्षमता से बाहर है। वर्ष 2014 में दर्ज किए गए अंतरिम आवेदन के कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दिए जा रहे हैं[49]:

- एक स्वतंत्र कमिटि या नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कमिटि स्थापित की जाए जो इस अधिनियम के लागू होने की प्रक्रिया की जांच करे, खासकर इस संदर्भ में कि अतिक्रमणकारियों ने किस हद तक वन भूमि पर गैर–कानूनी कब्ज़े कर रखे हैं और किस हद तक वन विभाग उनको वापस हासिल कर पाया है।
- राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से लोगों के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन के लिए अनुमति दी जाए, जिसमें FRA के अंतर्गत उनके अधिकारों की बंदोबस्ती किए जाने पर ज़ोर न दिया जाए।
- FRA के अंतर्गत दर्ज किए दावों का सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से सत्यापन करने के लिए राज्य सरकारों को आदेश दिए जाएं।
- राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से गैर–काष्ठीय वनोपज के वाणिज्यिक दोहन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।

मार्च 2016 में, कई राज्यों के प्रधान प्रमुख वन संरक्षकों को, भारत सरकार के लिए विशेष सचिव द्वारा एक पत्र[50] भेजा गया, जो कि इस मामले की सर्वोच्च न्यायाल में 15 फरवरी 2016 को हुई सुनवाई के जवाब में था (इस मामले के बारे में और जानकारी के लिए इसी रिपोर्ट में ऊपर का खंड देखें : FRA पर सवोच्च न्यायालय के फैसले)। न्यायालय ने राज्य सरकारों को अतिरिक्त समय दिया कि वे उनके वन विभागों से वन भूमि से गैर–कानूनी कब्ज़े हटाने के संबंध में लिए गए कदमों की जानकारी हासिल कर सकें। परिपत्र में राज्यों से अतिक्रमण हटाने के लिए किए गए प्रयासों का जवाब मांगा गया।

इसके बाद 31 मार्च 2017 को हुई सुनवाई में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश देने से इंकार कर दिया कि FRA संसद की कार्यनिर्वाह–क्षमता से बाहर है। न्यायालय ने याचिका दर्ज करने वाले आवेदकों से कहा है कि वे अन्य मुद्दों पर बहस को आगे बढ़ाएं[51]।

4.2 उच्च न्यायालय

(I) हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण के एक मामले में अपील की सुनवाई के समय, उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल 2015 को आदेश दिया कि सरकारी वन भूमि से सभी 'अतिक्रमण' अगले छः माह में हटा दिए जाने चाहिए ;2014 की CWIPL संख्या 17, दिनांक 6 अप्रैल 2015)। यह आदेश इस आधार पर दिया गया कि अतिक्रमण के कारण 'प्राचीन जंगल' क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस आदेश के बाद, वन

[48] http://www.thehindu.com/news/national/other-states/declare-niyamgiri-nomining-zone/article8694785.ece

[49] https://forestrightsact.com/2014/04/06/dont-facilitate-corporate-loot-open-letter-to-anti-fra-petitioners/

[50] http://fra.org.in/ASP_OrderCiculars_UploadFile/%7B66450b3a-23c8-4e37-a29e-64f50d63feb1%7D_FD%20letter_SC%20Order%20(1)%20(1).pdf

[51] https://forestrightsact.com/2017/03/31/281/

विभाग ने सेब के पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया, बिजली और पानी के कनेक्शन बंद कर दिए और हज़ारों किसानों को बेदखली नोटिस दे दिए, जो कि ऊपरी शिमला, गोहर, कांगड़ा ज़िले और किन्नौर ज़िले में वन भूमि पर कृषि कर रहे थे[52]।

(ii) वनाग्नि से वनों, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, वन्यजीवों आदि की सुरक्षा के मामले में 2016 की रिट याचिका सं. 54 की सुनवाई के समय, नैनीताल उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर 2016 के अपने आदेश में अध्यादेश दिया कि जिन वन गुज्जरों ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया है, उन्हें उस भूमि से एक वर्ष के अंदर बेदख़ल किया जाए। इससे पहले फरवरी 2007 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के वन गुज्जरों, जिन्हें उद्यान के प्रशासन ने बेदखली नोटिस दिए थे, द्वारा दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के समय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि वन गुज्जरों के थ्त। के अंतर्गत अधिकारों को मान्यता देने और बंदोबस्ती किए बिना उन्हें बेदख़ल नहीं किया जा सकता[53]।

4.3 नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

4 मई 2016 को, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समिति, लिप्पा गांव, किन्नौर ज़िला, हिमाचल प्रदेश द्वारा एकीकृत काशांग जलविद्युत परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण के विरुद्ध दायर की गई एक अपील की सुनवाई का अंतिम आदेश दिया गया। इस अपील में परियोजना को मार्च 2011 में दी गई अंतिम वन स्वीकृति को इस तर्क पर चुनौती दी गई थी कि यह थ्त। के प्रावधानों और अगस्त 2009 के परिपत्र का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसके लिए प्रभावित ग्राम सभाओं की सहमति नहीं ली गई। इस आदेश में MoEFCC और हिमाचल सरकार से कहा गया कि वे सुनिश्चित करें कि :

- वन मंजूरी का पूरा प्रस्ताव लिप्पा, रारंग, पांगी और तेलांगी ग्राम सभाओं के सामने रखा जाए, जैसा कि FRA में निर्धारित किया गया है और वन मंजूरी की शर्तों में कहा गया है।
- ग्राम सभा FRA के अंतर्गत सभी व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों पर विचार करती है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक दावे भी शामिल हैं, और यह भी कि परियोजना का धार्मिक स्थलों, पानी के स्रोतों पर गाद आने के कारण, वन भूमि हस्तांतरण, भूस्खलन और पानी के स्रोतों को नुक्सान के कारण आजीविकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेंगे।
- ग्राम सभा परियोजना प्रस्तावके के साथ मिलकर इन प्रभावों को मिटाने के कदम उठाए।

राज्य विद्युत कॉरपोरेशन ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दर्ज की, जिसमें उसका कहना था कि ग्राम सभा में अकुशल व्यक्ति होते हैं, जो तकनीकी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। अंततः, भारतीय कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार ने इस याचिका को वापस ले लिया।

[52] See: http://indianexpress.com/article/explained/why-himachals-forest-officials-were-hacking-at-fruit-laden-apple-trees/ and http://zeenews.india.com/news/eco-news/himachal-hc-refuses-to-modify-forest-encroachment-order_1637369.html

[53] http://www.radicalsocialist.in/articles/environment/388-the-van-gujjar-struggle-for-traditional-rights-women-inthe-leadership

II. क्रियान्वयन की जानकारी

1. MoTA स्थिति रिपोर्ट

आदिवासी कल्याण मंत्रालय (MOTA), (FRA के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार नोडल एजेंसी), अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए दावों और वितरित किए गए अधिकारपत्रों की मई 2008 से स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करती आई है। यह रिपोर्टें राज्य सरकारों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आधारित होती हैं। यह देखने में आया है कि इन रिपोर्टों में दिए गए आंकड़े CFR के संबंध में दर्ज किए गए दावों और अधिकारपत्रों के विवरण किसी प्रकार के रुझानों, प्रगति या चुनौतियों का ब्यौरा या विश्लेषण नहीं देते। अधिकतर राज्यों में, धारा 3 (1) के अंतर्गत CFR के दावों के बजाए, अधिनियम की धारा 3 (2) के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोग संविधाओं के लिए दर्ज किए गए दावों और अधिकारपत्रों का ब्यौरा दिया जा रहा है, जिन्हें CFR के साथ 'सामुदायिक अधिकारों' के रूप में रिपोर्ट किया जा रहा है। इन रिपोर्टों में निस्तार अधिकार, सूक्ष्म वनोपज एकत्रित करने के अधिकार, और सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के अधिकारों आदि के अलग–अलग आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। हांलाकि 3 दिसंबर 2012 को डवज। द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गोष्ठि में, जहां सभी राज्यों के संबंधित अधिकारी मौजूद थे, में राज्यों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट का फॉर्मेट संशोधित किया गया था, जिसमें CFR संबंधी अलग–अलग और विस्तृत जानकारी देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह जानकारी नहीं दी जा रही।

इस रिपोर्ट में हमने सामुदायिक अधिकारों के दावों और अधिकारापत्रों की स्थिति के लिए, मई 2015–जनवरी 2017 तक की रिपोर्टों का विश्लेषण किया है। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है, रिपोर्ट में कई असंगतियां हैं।

विभिन्न राज्यों में दर्ज किए गए दावों की संख्या के अनुसार, आंध्र प्रदेश में दावों की संख्या 10,959 से घट कर जून 2016 में 4493 हो गई, और फिर दिसंबर 2016 में बढ़ कर 4711 हो गई। लेकिन वितरित किए गए अधिकारपत्रों की संख्या 2107 से घट कर जून 2016 में 1319 रह गई, और फिर दिसंबर 2016 में बढ़कर 1415 हो गई। इसमें 9544 दावों का फ़र्क है। काई आंकड़ा यह नहीं दर्शाता कि इन दावों को अस्वीकृत किया गया। इसी प्रकार की रिपोर्टें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा से प्राप्त हुई हैं।

वन भूमि क्षेत्रफल, जिसपर अधिकारपत्र वितरित किए गए हैं के संबंध में, देखा जा सकता है कि गोवा में 4.35 एकड़ क्षेत्र पर 3 'सामुदायिक' अधिकारपत्र दिए गए! ओडिशा की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारपत्र दी गई वन भूमि का क्षेत्रफल कम हुआ है। अक्तूबर 2016 में वन भूमि क्षेत्रफल 3,35,599.07 एकड़ से घटकर 2,83,884 एकड़ रह गया; जबकि कुल वितरित अधिकारपत्रों की संख्या अक्तूबर 2016 में 5513 से बढ़कर जनवरी 2017 में 5891 हो गई!

इस प्रकार, आंकड़ों में कई विसंगतियां हैं, जो यह दर्शाता है कि राज्य दर्ज किए गए दावों, अधिकारपत्रों और वन भूमि क्षेत्रफल के सही आंकड़े नहीं पेश कर रही हैं।

C. राष्ट्रीय स्तर पर उभरते प्रमुख मसले

1. बेदखली और वन समुदायों की आजीविकाओं पर वन विभाग द्वारा जारी किए गए 'अतिक्रमण नोटिसों' का प्रभाव

2015 में कई राज्यों में वन भूमि पर 'अतिक्रमण' के मुद्दे पर एक बार फिर जोर–शोर से चर्चा खुल गई। वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों में वन विभाग ने 'अतिक्रमण विरोधी' कार्यवाही शुरू की, जो कि वर्ष 2016 और 2017 में भी चलती रही। हिमाचल प्रदेश के वनवासी समुदाय, जम्मू कश्मीर के चरवाहे और उड़ीसा व तेलंगाना के विशिष्ट संवेदनशील आदिवासी समूहों को इस चर्चा में निशाना बनाया जा रहा है। इसके व्यापक प्रभाव हुए, वनवासियों को वनों से बेदख़ल किए जाने से लेकर, उनकी प्रमुख आजीविकाओं को नुक्सान से पहुंचा कर, उनके अधिकारों को अमान्य करने तक। यहां याद दिलाना ज़रूरी है कि वनाधिकार अधिनियम बनाने के पीछे जो प्रमुख और तात्कालिक कारण था, वह यही था कि वनवासी समुदायों की वन भूमि पर अधिकारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित किया जा सके। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) ने वर्ष 2002 में एक परिपत्र के ज़रिए सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वे समयबद्ध तरीके से सभी 'अतिक्रमण' हटाने की व्यवस्था करें, और इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2002 से 2004 के बीच लगभग 1,50,000 हैक्टेयर वन भूमि से कुछ 3,00,000 परिवारों को बेदख़ल किया गया था[54], जिसके दौरान कई प्रकार की ज़्यादतियां भी की गईं, जैसे कि घरों को जलाना, खड़ी फसलों को हाथी के पैरों तले रौंदना आदि।[55] वन अधिकार अधिनियम का जन्म औपनिवेशी शासन और स्वतंत्रता के बाद राज्य वनों के समेकन के दौरान जिन वनवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना छूट गया था, और उस समय के वन कानूनों के अनुसार उन्हें 'अतिक्रमणकारी' माना जाता था, उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए हुआ था। अधिनियम की धारा 4(5) में कहा गया है कि किसी भी वनवासी अनुसूचित जनजाति या पारंपरिक वनवासी समुदाय के सदस्य को तब तक वन क्षेत्र से बेदख़ल या हटाया नहीं जा सकता, जब तक उसके अधिकार क्षेत्र की सत्यापन और मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती। वनाधिकार अधिनियम के नियमों में दी गई मान्यता देने और सत्यापन की प्रक्रिया एकमात्र कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध है जिस के माध्यम से असली अधिकारधारकों के अधिकारों को अक्षरश रूपसे मान्यता दी जा सकती है।

लेकिन, कानून में दी गई स्पष्ट प्रक्रिया के बावजूद, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने, वन क्षेत्र पर अतिक्रमण के पहले से चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान, 6 अप्रैल 2015 को फैसला दिया कि वन विभाग छः माह के अंदर सरकारी वन भूमि पर से सभी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी करे।

इस फैसले का आधार यह मान्यता थी कि यह 'प्राचीन वन' अनियंत्रित अतिक्रमण के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं (जनहित याचिका सं. 17, 2014, दिनांक 6 अप्रैल 2015)। इस फैसले के बाद, वन विभाग ने सेब के पेड़ों को उखाड़ना, बिजली पानी बंद करना और ऊपरी शिमला, गोहार, कांगड़ा और किन्नौर ज़िलों में हज़ारों किसानों को बेदख़ली नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों जैसे हिमालय नीति अभियान, हिम लोक जागृति मंच, रेणुका बांध संघर्ष समिति व अन्य द्वारा मुख्यमंत्री के सामने इस फैसले की अपील के बावजूद, बेदख़ल करने की प्रक्रिया जारी है। राज्य में अभी तक वनाधिकार अधिनियम लागू करने की शुरुआत नहीं की गई है और एक भी अधिकार पत्र नहीं दिया गया है।

[54] Kothari, A., Pathak, N.,& Bose, A. (2009). Forests, Rights and Conservation: FRA Act 2006, India. *Critical Review of Selected Forest-Related Regulatory Initiatives: Applying a Rights Perspective*, 19-50. (H. Scheyvens, Ed.). Japan: 2011 Institute for Global Environmental Strategies.

[55] Springate-Baginski, O., Sarin, M., Gosh, S., Dasgupta,P., Bose,I., Banerjee, A.,et al. (2009). Redressing 'Historical Injustice' through the Indian Forest Rights Act 2006: A Historical Institutional Analysis of a Contemporary Forest Rights Reforms. Improving Institutions for Pro-Poor Growth, Discussion Paper Series 27.

हिमालय निति अभियान ने रेकांगपो में की हुई रैली में किसान: गौरव मदन

जम्मू कश्मीर में, सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमुख वन संरक्षक, जम्मू की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित करने का आदेश दिया है जिससे कि वे जम्मू के संजवान, बथिंडी, राइका और सिद्रा क्षेत्रों में वन भूमि की अन्य भूमि से अलग सीमाबंदी करने की प्रक्रिया चलाई जा सके।[56] यह आदेश जम्मू कश्मीर वन अधिनियम 1997 के अंतर्गत दिया गया, जिसे दो महीने के अंदर करने की समयावधि दी गई। इसके बाद, गुज्जर और बकरवाल घुमंतु आदिवासी समुदायों की कई बस्तियां उजाड़ी गईं और उनके परिवारों को उनके पारंपरिक प्रवासी रास्तों से बेदख़ल कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान की धारा 370 के अंतर्गत दिए गए विशेष दर्ज़े (जिसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी केन्द्रीय कानून जम्मू कश्मीर में तभी लागू होगा जब उसे राज्य की विधान सभा में पारित किया जाएगा) के कारण यहां पर भी अभी तक वनाधिकार अधिनियम लागू नहीं किया गया है। गुज्जर–बकरवाल समुदाय की मांग रही है कि वनाधिकार अधिनियम को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए, जिससे कि उनके सांस्कृतिक, पारंपरिक और वन अधिकारों को मान्यता मिले और उनके वन संबंधी अधिकार सुरक्षित किए जा सकें।

हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और तेलंगाना के बाद, कर्णाटक पांचवा ऐसा राज्य है जहां कई ज़िलों में, वन विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वन भूमि से 'अतिक्रमण'[57] हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि यहां अधिकारों को मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। राज्य सरकार के वन भूमि से किसी भी प्रकार के 'अतिक्रमण' हटाने के निर्णय पर कदम उठाते हुए राज्य के वन विभाग ने अतिक्रमित वन भूमि की पहचान की है और उच्च न्यायालय में इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक शपथ पत्र जमा किया है। वन विभाग ने एक समय सारिणी भी उच्च न्यायालय में जमा की है,

[56] http://jkgad.nic.in/common/showOrder.aspx?actCode=O11917

[57] हमारे जून–जुलाई समाचारपत्र के विशेष लेख, 'अतिक्रमण की चर्चा फिर से खुली' देखें। यह http://fra.org.in/document/CFR-LA-Newsletter_June-July-2015%20FINAL.pdf पर भी उपलब्ध है।

जिसमें हर मामले में अतिक्रमण हटाने और उसके लिए आवश्यक समयावधि दी गई है। राज्य सरकार का यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 1996 के वन भूमि से सभी गैर–कानूनी कब्ज़े हटाने के आदेश पर आधारित है। उच्च न्यायालय ने 3 एकड़ से बड़े क्षेत्रफल से अतिक्रमण हटाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद से दक्षिण कन्नड़, उडुपी, चिकमगलूरु के कुछ हिस्सों और शिवमोग्गा ज़िलों में 750 एकड़ भूमि से 42 ऐसे अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। हालांकि वन विभाग ने कहा है कि जिन लोगों ने वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावे दर्ज किए हुए हैं, उन्हें नहीं हटाया जाएगा, लेकिन खबर से यह स्पष्ट नहीं है कि इन ज़िलों में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावे दर्ज करने की प्रक्रिया शुरु हुई है या नहीं।[58]

2. वनीकरण या पौधारोपण कार्यक्रम और उनके कारण बेदखली

उड़ीसा में राज्य सरकार उस वन भूमि पर वनीकरण कर रही है जिन पर लोग दावे दाखिल करना चाहते हैं, दावे कर चुके हैं और कुछ पर तो उन्हें अधिकारपत्र भी मिल चुके हैं। इसमें कंधमाल ज़िले में एक संवेदनशील आदिम आदिवासी समुदाय कुटिया कोंध के पोडु कृषि क्षेत्रों में साल का पौधारोपण शामिल है। इसी प्रकार के पौधरोपण रंगपरू, पान्दामस्का, कुसुमुंडा, मदलकुना, देओगड़ा, गुचुका, तिडिपादर, कडपना और बुरलुबरु गांवों में भी किए जा रहे हैं जो कि बालिगुड़ा उप–खंड के तुमुडीबंध ब्लॉक की बेलघर पंचायत के अंतर्गत आते हैं।[59] हाल ही के एक समाचार में बताया गया कि बलंगीर ज़िले के तुरेकेला और खापराखोल ब्लॉकों के असर्वेक्षित गांवों में धान और कपास के खेतों पर भी पौधारोपण कर दिया गया। इनमें से कुछ मामलों में तो व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे भी दिए जा चुके थे।[60] इसके लिए आसपास के गांवों की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सहारा लिया गया जिसके कारण पड़ोसी गांवों में तनाव भी पैदा हो गया।

यहां तक कि तेलंगाना के एक मुख्य कार्यक्रम 'हरित हराम'[61] के ज़रिए लगभग 5000 किसानों की आजीविकाओं को छीन लेने वाले पौधारोपण कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। यह कृषि परिसंख्या 5 क्षेत्र खम्मम ज़िले के कारेपल्ली, येलुन्डु, तेकुलापल्ली, बय्याराम, गरला, मुलकलापल्ली, डामापेट, अश्वराओपेट, चंद्रगोन्डा, एन्कुर, जुलुरपाडू, डुम्मुगुडेम, कोनिजरला मंडलों के कोया, कोन्डा रेड्डी और लम्बाड़ी आदिवासी समुदायों के किसानों की हैं।[62] इस विशाल पौधारोपण कार्यक्रम कार्यक्रम की तैयारी के लिए सरकार ने वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण करने के लिए कहा है।[63] सर्वेक्षण के दौरान ही वन विभाग वन भूमि पर पोडू खेतों में खाइयां खोद रहा है।[64] स्थानीय लोगों का विरोध ट्रैक्टर और हल ज़ब्त किए जाने और उन्हें हिरासत में लेकर उन पर वन अपराधों के मामले दायर कर दिए जाने जैसी जवाबी कार्यवाही से बंद किया जा रहा है। येलान्डु मण्डल के वेपालगड्डा गांव के एक किसान ने हाल ही में वन विभाग द्वारा उसके पोडू खेत के पास खाई खोदने से रोकने के लिए आत्महत्या कर ली।[65]

[58] http://economictimes.indiatimes.com/news/environment/florafauna/reclaimingencroachedforestlandinkarnatakahasstartedpccf/articleshow/49694039.cms

[59] बेहरा, एस. तुमदीबंध खंड, कंधमाल ज़िला के गांवों में पौधारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से कुटिया कोंध समुदायों के वन अधिकारों की हानि का दस्तावेज़ीकरण। भुबनेश्वर : अप्रकाशित। रिपोर्ट की प्रति के लिए श्रीचरन बेहरा से (sricharan.vasu@gamil.com) पर संपर्क करें।

[60] यह समाचार अस्तित्व और गरिमा के लिए अभियान, उड़ीसा द्वारा 27 जुलाई 2015 को भेजा गया।

[61] यह एक विशाल वनीकरण कार्यक्रम है जो पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है राज्य में 25 प्रतिशत वन आवरण को बढ़ाकर 33 प्रतिशत करना है। वन भूमि के सीमांकन के लिए ही लगभग 500 करोड़ रुपए की ज़रूरत है।

[62] देखें : http://www.deccanchronicle.com/150616/nationcurrentaffairs/article/foreststafffarmersareoddsoverpodu

[63] देखें : http://www.thehindu.com/news/national/telangana/tskeenonresolvingforestlandownershipdispute/article6890685.ece

[64] देखें : http://m.newshunt.com/india/english-newspapers/thehansindia/latestnews/tribals-police-clash-over-podu-land_41083396/c-in-l-english-n-hans-ncat-latestnews

[65] देखें :http://www.thehindu.com/news/national/telangana/farmers-death-triggers-protest/article7349050.ece

यहां याद दिलाना ज़रूरी है कि हरित हारम जैसे पौधारोपण कार्यक्रमों का हरित भारत मिशन[66] (GIM) के अंतर्गत वित्तपोषण किया जा रहा है, और हरित भारत मिशन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम तथा कैम्पा (प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण) से। विडंबना यह है कि प्रतिपूरक वनीकरण के वित्तपोषण के लिए बनाया गया कोष, जिसके लिए ऐसे कार्यक्रम से पैसा आ रहा है जिसमें वन आश्रित लोगों और उनकी आजीविकाओं को 'विकास' के नाम पर विस्थापित किया गया और अब उसी पैसे को और ज़्यादा वनाश्रित समुदायों को बेदख़ल करने और उनको रोज़गार देने के नाम पर उनकी आजीविकाएं नष्ट करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।[67]

हरित भारत मिशन की घोषणा के बाद से ही नागरिक संस्थाएं और आदिवासी संगठन इसका विरोध करते आए हैं, जिन्हें चिंता है कि इसका आदिवासी और गैर आदिवासी वनवासी समुदायों के ज़मीन और जंगल अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा।[68]

ज़मीनी स्तर से प्राप्त यह समाचार स्पष्ट बताते हैं कि स्थानीय समुदायों के वन अधिकारों का गंभीर हनन किया जा रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए वन भूमि हस्तांतरित किए जाने के लिए वनाधिकार अधिनियम की अवहेलना की जा रही है।

3. FRA का मनामाना और जल्दी में लागू किया जाना

वनाधिकार अधिनियम अभियान, जिसकी घोषणा अप्रैल में प्रधान मंत्री के आफिस द्वारा की गई है, के अंतर्गत कुछ राज्यों में चर्चाओं और कार्यशालाओं के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस अभियान ने वनाधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए जो समय सीमा तय की है, उसके कारण कई राज्यों में गफलत की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण गलतफ़हमी में वनाधिकार अधिनियम जल्दीबाज़ी में लागू किए जाने के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगड़ और झारखंड में हुआ जिसमें सभी ज़िला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि 15 अगस्त 2015 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं से यह लिखित में लें कि उनके गांवों में सभी व्यक्तिगत/ सामुदायिक वन अधिकार दावों की कार्यवाही पूरी हो चुकी है।[69]

जनजातीय कार्य मंत्रालय (MOTA) ने इस अधिनियम को लागू करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के अपने प्रयासों के क्रम को जारी रखते हुए इस तरह जल्दबाज़ी में इसे लागू करने के विषय में भी हस्तक्षेप किया। अगस्त 2015 में छत्तीसगड़ (10 अगस्त) और झारखंड (12 अगस्त) सरकारों को पत्र भेजे गए जिनमे स्पष्ट किया गया कि सुझाई गई समयावधि केवल वनाधिकार अधिनियम को अविलम्ब लागू करने की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए दी गई थी। पत्रों में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस समयावधि का दुरुपयोग असंभव समय–सीमाएं देने या कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए ना किया जाए। पत्रों में कहा गया है कि इससे वन समुदायों के खिलाफ़ चले आ रहे अन्याय को ही बढ़ावा मिलेगा।

[66] देखें : http://www.moef.gov.in/sites/default/files/GIM_Mission%20Document-1.pdf

[67] देखें : http://zeenews.india.com/news/sci-tech/green-india-mission-converged-with-mgnrega-to-reclaim-forest_1561829.html और http://www.moef.nic.in/sites/default/files/MGNREGS-GIM.pdf और http://www.moef.nic.in/sites/default/files/GIM-CAMPA%20Convergence%20Guidelines.pdf

[68] देखें : http://www.forestrightsact.com/statements-and-news/90-dangers-of-the-green-india-mission

[69] http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-08-13/news/65523948_1_forest-rights-act-gram-sabha-tribal-land-rights

4. वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील करना

2 फरवरी 2016 को MoTA ने FRA के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सभा में कुछ राज्यों में वन ग्रामों की संख्या और वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में तब्दील करने की रिपोर्ट पेश की।

राज्य	वन ग्रामों की संख्या	FRA के अंतर्गत तब्दीली की स्थिति, राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	169	कोई जानकारी नहीं
आंध्र प्रदेश	3	कोई जानकारी नहीं
असम	897	कोई जानकारी नहीं
छत्तीसगढ़	658	421 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील किया गया
गुजरात	162 (MoTA द्वारा पहचान की गई) 196 (राज्य सरकार के रिकार्ड में)	175 को राजस्व ग्राम में तब्दील करने के लिए चिह्नित किया गया
झारखंड	14	कोई जानकारी नहीं
मध्य प्रदेश	1165	925 को राजस्व ग्राम में तब्दील किया जाना है
महाराष्ट्र	73	नन्दूरबार ज़िले के सभी गांव। अभी तक कोई भी तब्दील नहीं किया गया।
ओडिशा	47	22 को राजस्व ग्राम में तब्दील करने के लिए चिह्नित किया गया
सिक्किम	51	कोई जानकारी नहीं
तमिल नाडु	736	कोई जानकारी नहीं
उत्तराखंड	421	कोई जानकारी नहीं
उत्तर प्रदेश	89 (MoTA द्वारा पहचान की गई) 12 (राज्य सरकार के रिकार्ड में)	6 को वन ग्राम में तब्दील किया गया
पश्चिम बंगाल	170 (MoTA द्वारा पहचान की गई)	86 को राजस्व ग्राम में तब्दील किया गया

कई राज्यों में जहां रिकार्ड वन ग्राम दर्शाते हैं, वहां पर तब्दीली की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई है। इन गांवों के साथ काम करने वाली कई संस्थाओं ने इन गांवों की संख्याओं में राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई असंगतियों के बारे में बताया है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार का दावा है कि 431 वन ग्रामों को राजस्व

ग्रामों में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन इसकी रिपोर्ट डवज। को नहीं दी गई है, जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है। इस बीच, 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 658 वन ग्राम हैं,[70] जबकि छत्तीसगढ़ वन विभाग की 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 423 ग्राम है, और राज्य सरकार के रेकार्ड में यह संख्या 431 ग्राम है। जहां वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में तब्दील किया गया है, वहां यह जानकारी नहीं है कि इन्हें किस ग्राम सभा के अंतर्गत रखा गया है।

5. वन भूमि हस्तांतरण होने वाले क्षेत्र

MoEFCC और MoTA द्वारा जारी किए गए परिपत्रों, जिनमें स्पष्ट रूप से FRA के क्रियान्वयन में कमज़ोरी आती दिखती है, एक चौंकाने वाले कदम में, छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले की ज़िला स्तरीय कमिटि ने घटबर्रा गांव का सामुदायिक अधिकार पत्र रद्द कर दिया। ज़िला कलेक्टर, वन मंडल अधिकारी ओर आदिवासी कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक संयुक्त पत्र के माध्यम से, लगभग 1800 हैक्टेयर वन क्षेत्र पर दिए गए अधिकार पत्र को जनवरी 2016 में रद्द कर दिया गया, क्योंकि समुदाय पारसा पूर्व और केन्टे बेसन कोयला खंडों में कोयले के खनन का विरोध कर रहे थे, जो क्षेत्र इस अधिकारपत्र का हिस्सा नहीं थे। समुदायों को दिए गए अधिकारपत्र में वे क्षेत्र शामिल नहीं थे, जिनपर पहले ही कोयला खनन की लीज़ दे दी गई थी, जिसे गांव ने वर्ष 2013 में जमा किए गए अपने पारंपरिक ब्थ्त् क्षेत्र के दावे में शामिल किया था। कांकेर (अंटागढ़ खंड) और दांतेवाड़ा (काटेकल्याण खंड) ज़िलों के जिन गांवों में रोघाट परियोजना लागू की जा रही है, वहां पर सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त जानकारी से पता चला कि ज़िला प्रशासन ने अधिकार न देने का निर्णय लिया है क्योंकि उस क्षेत्र में रेल और रोघाट खनन परियोजना का काम चल रहा है। कई कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार अधिकार 'रद्द' किए जाने की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया है। FRA में अधिकारों को रद्द करने की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत, ग्राम सभा को अपने वनों और जैवविविधता की सुरक्षा करने और पारंपरिक वनों को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने की ज़िममेदारी दी गई है। अतः जिस आधार पर अधिकार रद्द किए गए हैं, वही गलत है।

छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, ओडिशा जैसे राज्यों से प्राप्त साक्ष्यों से समझ आता है कि विकास परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित किए जाने वाले क्षेत्रों पर गांवों के अधिकारों के दावों पर कार्रवाही करने में निचले सरकारी अफसरों से लेकर ज़िला स्तरीय अफसर भी कतराते हैं। कई जगहों पर, जहां गांवों ने दोबारा दावे दर्ज करने की काशिश की, वहां तहसीलदारों ने गैर–कानूनी रूप से दावों को यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि फॉर्म गलत भरे गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विभाग और राज्य सरकारों के विभिन्न अंग, जैसे कि BSF गांवों के अपने वन संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के अधिकारों में

[70] Statement referred to in reply to parts (a) to (c) of Lok Sabha Starred Question No. *104 (Fourth Position) for answer on 02.05.2016 tabled by SHRI VIJAY KUMAR HANSDAK regarding "FOREST VILLAGES"

कटौती करते आए हैं। कुछ मामलों में SDLC ने पहले से ही तय कर लिया है कि भूमि के बड़े बड़े खंडों पर FRA के अधिकार नहीं दिए जा सकते। कई मामलों में जाली ग्राम सभा प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं।

6. संरक्षित क्षेत्र

संरक्षित क्षेत्रों, खासकर बाघ आरक्षित क्षेत्रों में वनाधिकार अधिनियम के उल्लंघन के समाचार आते ही रहते हैं। उड़ीसा के सिमलीपाल बाघ आरक्षित क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्रों से वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू किए बिना गांवों को पुनर्स्थापित किए जाने की खबरें मिली हैं। पन्ना से पुनर्स्थापित गांव उमरावन ने जबलपुर उच्च न्यायालय में अपील दायर की है कि उनका पुनर्स्थापन वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर–कानूनी है।

27 अगस्त 2015 को, जबलपुर उच्च न्यायालय में पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्र के उमरावन गावं को वन विभाग द्वारा विस्थापित किएजाने के प्रयास के खिलाफ़ एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि वन विभाग ने वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का हनन किया है। बाघ आरक्षित क्षेत्र के पी.सी.सी.एफ, ज़िला कलेक्टर और फील्ड डायरेक्टर के खिलाफ़ एक स्थानीय कार्यकर्ता के साथ मिलकर गांव के तीन लोगों ने यह जनहित याचिका दायर की है। वन विभाग इस गांव को पिछले तीन वर्षों से पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। गांव वासियों के सभी आजीविका के स्रोतों में बाधा पड़ रही है, उन्हें खेती करने से भी रोका जा रहा है, बिजली बंद कर दी गई है और गांव वालों का कहना है कि गांव में हाथियों को खुला छोड़ दिया जाता है जिससे कि गांव वाले डर कर गांव छोड़ दें। 26 जून 2015 को ज़िला कलेक्टर ने गांव में जन सुनवाई आयोजित की, जिसमें बहुत सारी पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर ने लोगों से पूछा कि वे पुनर्स्थापित होना चाहते हैं या नहीं, हाथ उठा कर बताएं, और गांव के मूल निवासियों की गैर मौजूदगी के कारण, वहां पर आए ज़्यादातर लोगों ने पुनर्स्थापन के लिए स्वीकृति दे दी। 30 जून को गांव वालों के खातों में रुपए 7 लाख 60 हज़ार जमा कर दिए गए और तब से वन विभाग गांव वालों पर गांव छोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। 51 परिवारों ने गांव छोड़ भी दिया है, लेकिन बाकी बचे 57 परिवारों की मांग है कि उन्हें ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए। गांव के लोगों ने 36 व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार दावे फाइल किए हैं, और वे सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की अर्जी पूरी कर रहे हैं। अभी तक 13 व्यक्तिगत अधिकार पत्र दे दिए गए हैं और निस्तार अधिकार के अंतर्गत, हैंडपम्प भी दिए गए हैं। इस बीच, उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका स्वीकार कर ली और 28 सितंबर को सुनवाई रखी गई थी।[71]

11 सितंबर 2015 को वन विभाग ने सिमलीपाल बाघ आरक्षित क्षेत्र के जमुनानगर गांव के 35 परिवारों को पुनर्स्थापित कर दिया। इन परिवारों को बाघ आरक्षित क्षेत्र से बाहर, मयूरभंज ज़िले के उदला पुलिस थाने के अंतर्गत बसाई गई नाबरा पुनर्वास कॉलोनी में बसाया गया। हर विस्थापित परिवार को 10 डिसमल

[71] See: http://www.sangharshsamvad.org/2015/09/blogpost_22.html?m=1

पेरियार टाइगर रिज़र्व के गेट पर अदिवासी, केरला: आशीश कोठारी

ज़मीन दी गई है, जिसपर वे अपना पक्का घर बना सकते हैं। वर्ष 2008 में बनाई गई पुनर्वास योजना के अनुसार, कबतघई और बकुआ के बाकी बचे गांवों, जो कि कोर क्षेत्र के 2750 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में बसे हैं, को भी पुनर्स्थापित किया जाना है। यह पुनर्स्थापन इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आरक्षित क्षेत्र के कोर क्षेत्र को मानव रहित बनाया जा सके।[72] जमुनानगर वही गांव है जहां सितंबर 2014 में, एक पल्ली सभा में वन विभाग ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता दी थी। ज़िला वन अधिकारी ने उस बैठक में गांव के पुनर्स्थापन की सूचना भी उन्हें दी थी।[73] कबतघई और बकुआ ने भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावे फाइल कर दिए हैं, लेकिन अभी उन्हें मान्यता प्राप्त होना बाकी है।[74] बाघ आरक्षित क्षेत्र के कोर से विस्थापन के बीच ही, यहां के 42 गांवों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिल चुके हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बाघ आरक्षित क्षेत्र के अंदर बसे इन गांवों के लिए इन अधिकारों का क्या मतलब होगा, और जहां उन्हें पुनर्स्थापित किया जाएगा वहां इनका क्या महत्व होगा।

ओडिशा के संभलपुर ज़िले के बदराम वन्यजीव अभ्यारण्य के जमनकीरा ब्लॉक की सरदा ग्राम पंचायत में, सर्वोच्च न्यायालय का 2002 के आदेश, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों से गैर–काष्ठीय वनोपज एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगाया गया था, को वन विभाग अभी गांव वालों को उनकी आजीविकाएं कमाने से रोकने के लिए उपयोग कर रहा है। समुदायों को महुआ फूल और फल, चिरौंजी, केन्दु पत्ता और साल बीज, आंवला, बहेड़ा और हरिड़ा, सरगी और सियाली पत्ते एकत्रित करने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है; जिसके कारण ज़्यादातर लोग अब मज़दूरी करने लगे हैं ।[75]

दूसरी ओर, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 'सामुदायिक प्रकृति संरक्षण क्षेत्र' स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य है पारिस्थितिकि तंत्र की और ज़्यादा सुरक्षा और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में ईको–पर्यटन का विकास[76] संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के इलाके के किसानों को कृषि छोड़ने के लिए मुआवज़ा देकर, और पौधारोपण, घास मैदानों के विकास, जल निकायों के संरक्षण और इस भूमि पर व्यक्तिगत रूप से या सहकारी समिति के माध्यम से जल निकाय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया

[72] http://www.thestatesman.com/news/odisha/forest-dept-to-relocate-villages-to-vacate-str-core-area/95314.html

[73] http://www.survivalinternational.org/news/10488

[74] http://www.downtoearth.org.in/content/remaining-tribals-simlipal-tiger-reserve-be-displaced

[75] http://www.newindianexpress.com/states/odisha/SAGY-Succour-Elusive-for-Villagers-Hit-by-NTFP-Ban/2015/04/26/article2783699.ece

[76] https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/English/201511031728572719.pdf

जाएगा। दिशानिर्देशों में निजि कंपनियों या कारपोरेट समूहों को भी इजाज़त है कि वे बाघ आरक्षित क्षेत्रों के अंदर और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के आसपास ऐसे कार्यक्रम लागू कर सकते हैं। कारपोरेशनों को बाघ संरक्षण फाउन्डेशनों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है, बशर्ते कि यह कार्यक्रम स्थानीय लोगों की भागीदारी से लागू किए जाएं और इनमें 80 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलें। इस प्रयास को उमरेड़–करहंडला वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया है। इस स्कीम के लिए आर्थिक सहयोग संभवतः भूमण्डलीय विकास बैंको से आएगा।[77]

7. PVTG आदिवासी समूहों के आवासीय क्षेत्र अधिकार

पूरे देश में च्टज्ळ समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने और बंदोबस्ती की दिशा में बेहद धीमी गति से प्रगति हो रही है। डिंडोरी के ज़िला प्रशासन का दावा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के बैगा चक क्षेत्र के बैगा आदिवासियों के गांवों को सात अधिकारपत्र देकर 'आवासीय क्षेत्र अधिकारपत्र' देने की पहल की है।[78] लेकिन इन अधिकारपत्रों की जांच करने पर पता चला कि वे CFR अधिकारपत्र हैं (इन गांवों को CFR अधिकारपत्र वष्र 2009 में मिले थे, लेकिन इन अधिकारपत्रों में गल्तियां थीं और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत कई शर्तें भी दी गई थीं)। इन अधिकारपत्रों में सांस्कृतिक, पारंपरिक और घार्मिक स्थलों का कोई वर्णन नहीं है, और न ही बैगा समुदाय के विशिष्ट जैव–भौगोलिक पहलुओं और जगहों का कोई वर्णन है।

गड़चिरोली के धानोरा तालुका में खटगांव की गोंड ग्राम सभाओं ने FRA की धारा 3(2) के अंतर्गत, 21 जनवरी 2016 को खटगांव टोला में आयोजित एक बैठक में अपने लिए आवासीय अधिकारों का दावा दर्ज किया है। पारंपरिक बड़ों और समुदाय के बुजुर्ग भी इस बैठक में उपस्थित थे। इनमें से कई गांवों में व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दे दी गई है; लेकिन समुदाय अपने पारंपरिक प्रथागत आवास पर अपने पूरे अधिकार सुरक्षित करना चाहता है। आवासीय अधिकार का दावा करने के लिए तैयारी की प्रक्रिया छः माह पहले शुरू हुई, जिसमें बुजुर्गों के बयानों के आधार पर जानकारी निकाली गई। सभी ग्राम सभाओं की अलग–अलग व एकसाथ कई बैठकें की गईं। दावे का अंतिम प्रारूप तब तैयार किया गया, जब सभी ग्राम सभाओं ने इस दावे के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। सीानीय और ज़िला स्तरीय सरकारी कर्मचारियों को भी बैठकों में प्रस्तुत रहने के लिए कहा गया, जिनमें दावे का सत्यापन किया गया और उसे पारित किया गया। जल्द ही यह दावा SDLC को जमा कर दिया जाएगा।

दावे में शामिल है :

- मड़िया गोंड समुदाय के आवासीय और सांस्कृतिक अधिकार
- पारंपरिक भौगोलिक क्षेत्र पर सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार

[77] http://timesofindia.indiatimes.com/City/Nagpur/CorporatesnowallowedtohelpdevelopforestsnearPAs/articleshow/49531240.cms

[78] http://www.downtoearth.org.in/news/baiga-tribals-become-india-s-first-community-to-get-habitat-rights-52452

- प्राकृतिक जगहों, प्राकृतिक चीज़ों, और उनके धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े पवित्र स्थानों के उपयोग, सुरक्षा, प्रबंधन और संरक्षण के अधिकार
- धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व की जगहों की किसी भी प्रकार के बदलाव या विनाश से सुरक्षा करने का अधिकार
- वर्तमान समय में सामुदायिक कार्यक्रमों और पारंपरिक उत्सवों में उपयोग होने वाली जगहों पर अधिकार और ऐसे अवसरों के लिए समुदाय की सामूहिक सहमति से, जब उन्हें ज़रूरत हो, तो नए स्थल चुनने का अधिकार
- पारंपरिक/ प्रथागत कृषि के तरीकों का पालन करने का अधिकार, और अपनी आजीविका के लिए जिन वनों का वे समय–समय पर उपयोग करते आए हैं, उनके उपयोग, सुरक्षा, प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार
- अपने पारंपरिक क्षेत्र में अपने सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा, प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार
- अन्य अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों के साथ मिलकर ऊपर दिए गए सभी अधिकारों को उपयोग करने का अधिकार, जिसमें उनके पहले से चले आ रहे अधिकारों को मान्यता हो
- अन्य अधिकार, जो आवासीय अध्ययन के बाद उभर कर आएं

(भारत जन आंदोलन के महेश रावत द्वारा CFR-LA लिस्टसर्व पर भेजी गई जानकारी। और अधिक जानकारी के लिए महेश से maheshraut.work@gmail.com पर संपर्क करें)

D. FRA पर लिखे गए लेख

1. भारत के वन क्षेत्रों में, जिन लोगों को नियंत्रित, प्रतिबंधित या सशक्त करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, उनके लिए इन कानूनों का क्या मतलब है?

शीबा देसोर (desor.shiba@gmail.com)

''मुझे अपने ही जंगल में जाने के लिए किसी भी किताब पर हस्ताक्षर करने की क्या ज़रूरत है, जब वहां मुझे खुद ही अपने देवताओं और राक्षसों का सामना करना है?''

(वर्ष 2011 में चमराजनगर में हुई एक बैठक में बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य में रहने वाले एक सोलिगा आदिवासी द्वारा उठाया गया सवाल)

भारत के जंगलों के लिए विभिन्न कानून हैं। यह कानून बताते हैं कि वन विभाग की क्या भूमिका है, बांध, खदानों या फैक्टरियों को कैसे स्थापित किया जाए, और यह भी कि वनाश्रित समुदाय क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कम से कम 5 ऐसे कानून हैं (राज्य और क्षेत्रीय कानूनों के अतिरिक्त), जो बताते हैं कि क्या कानूनी है और क्या गैर–कानूनी, और जंगल में क्या करना अपराध हो सकता है।[79]

यह कानून अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थितियों और प्राथमिकताओं के लिए बनाए गए। एक कानून ज़्यादातर वनों को सरकारी संपत्ति बताता है (भारतीय वन अधिनियम, 1927), दूसरा वन्यजीवों के लिए जंगलों को आरक्षित कर उनमें मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है (वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972), और अन्य कानून 'विकास' के लिए वन भूमि के उपयोग की प्रक्रिया बताते हैं (वन संरक्षण अधिनियम, 1980), एक कानून जैविक संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करने और उनके लाभ उठाने के तरीके बताता है (जैव विविधता अधिनियम, 2002), और एक वनाश्रित समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया बताता है (वनाधिकार अधिनियम, 2006)।

इन कानूनों के सशक्तिकरण प्रावधानों और कमियों की व्यापक समझ बनाना एक जटिल काम है, लेकिन उतना ही मोहक भी। लेकिन विडंबना यह है कि इन कानूनों का विश्लेषण करने वाले लोगों में ज़्यादातर गैर सरकारी संगठन, पत्रकार, मंत्री, वकील और आधिकारिक विभाग हैं, वनों में रहने वाले या उन पर आश्रित लोग बहुत कम। वन आश्रित लोगों को अक्सर कानून का सामना तब करना पड़ता है जब उन्हें शिकार करने, लकड़ी काटने, घास काटने, या कभी कभी अपनी ज़मीन पर रहने और कृषि करने तक के लिए दंडित किया जाता है। या फिर तक जब उनके सामुदायिक उपयोग की वन भूमि पर वर्दीधारी गार्ड और ज़मीनों पर बाड़ लगा दी जाती है।[80] कई बार ऐसा भी होता है कि पहले कभी गांव में ना देखे गए वन अधिकारी अचानक गांव में आकर लोगों को बताते हैं कि उनके गांव को 'वन से बाहर' ले जाया जा रहा है, और अगर उन्होंने जल्द इसके लिए सहमति नहीं दी, तो उन्हें 'मुआवज़े का पैकेज' नहीं मिल पाएगा। या फिर तब जब बाहर के लोग आकर उन्हें बताते हैं कि किस तरह से कुछ कानूनों के प्रावधान, या कुछ प्रक्रिया चलाने, या कुछ कागज़ातों से उन्हें नई ज़िंदगी मिलने वाली है! वन उनके लिए घर हैं। कई बार पता चलता हे कि इन जगहों पर उनके परिवार कई पीढ़ियों से रहते आए हैं। कुछ गिने चुने

[79] 'कानूनों के संदर्भ में वन प्रशासन' – कल्पवृक्ष द्वारा लिखा नीति संक्षेप देखें।
http://kalpavriksh.org/images/Documentation/Advocacy/ForestGovernanaceatInterfaceLaws.pdf

[80] आरक्षित वनों के आसपास के गांवों में लोग 'फॉरेस्ट' शब्द का उपयोग वन विभाग के गार्ड के लिए, और बाघ आरक्षित क्षेत्रों के गार्ड के लिए 'टाइगर' या 'टाइगर वाला' शब्दों का उपयोग करते हैं।

मामले छोड़ कर, वनों में रहने वाले लोग लगातार कानूनों, अधिकारों, अपराध या कानूनी प्रावधानों की छाया में नहीं रहते। अक्सर उनका जीवन तेज़ी से बदल रहे उनके परिप्रेक्ष्य और आधुनिकीकरण से अपनी संस्कृति को चुनौतियों से बचाने से घिरा रहता है।

इस संदर्भ में, उन्हें सशक्त करने वाले कानून, जैसे कि वनाधिकार अधिनियम, की समझ बनाना भी वनाश्रित समुदायों के लिए एक थका देने वाली प्रक्रिया बन जाती है, जिसमें इतनी सारी कमिटियां, कागज़ी कार्यवाही, प्रावाधानों की व्याख्या में अस्पष्टता और अनुचित समयावधियां तय की जाती हैं। यदि किसी भी कानून में अस्वभाविक प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, तो अक्सर लोग उससे अपना जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, इसमें आवश्यकता है कि :

- लिखित और हस्ताक्षर किए हुए कागज़ात जमा किए जाएं, हालांकि ज़्यादातर गांव के लोग अशिक्षित हो सकते हैं;
- गांव–स्तरीय प्रस्ताव पारित किए जाएं, जहां संभवतः कोई गांव ही मौजूद ना हो, और वन आश्रित समुदाय घुमंतु समुदाय हो, जिनके गांव की सीमाएं अस्थिर रहती हैं;
- अधिकारियों के साथ सीमा निर्धारण के लिए पत्राचार करना, जहां शायद कई दशकों से उनके बीच कोई बातचीत भी ना हुई हो;
- सीमाओं का अचल निर्धारण करना, जहां संभवतः लोगों के मन और संस्कृति में सीमाओं के केवल नज़री नक्शे रहे हों, और उपयोग तथा दावों के हल निकालने के उनके अपने अलग तरीके रहे हों।

लेकिन फिर भी, भारतीय पृष्टभूमि में फैली इन चुनौतियों के बावजूद, हम वन अधिकारों का दावा करने और उन्हें प्राप्त करने के कुछ सत्यनिष्ठ प्रयास देख रहे हैं। और यहां सिर्फ बड़ी से बड़ी संख्या में दावे करने या अधिकार प्राप्त करने तक ही बात सीमित नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग वनाधिकार अधिनियम और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों का उपयोग बड़ी कंपनियों द्वारा सामुदायिक वन इख़्तियार कर लेने को चुनौती दे रहे हैं, वे वनों की लकड़ी पर विभाग के एकाधिकार पर सवाल उठा रहे हैं, और अपनी आजीविकाएं चलाने के लिए गैर–काष्ठीय वनोपज के उपयोग व बिक्री के नियम बना रहे हैं। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के ज़रिए लोगों को अचानक अपने संसाधनों से बेदख़ल कर दिए जाने के डर से हट कर, शांतिपूर्वक और गरिमा के साथ जीवन जीने का मौका मिला है।

इससे भी ज़्यादा महत्पूर्ण बात यह है कि, आज के तेज़ी से बढ़ते औद्योगीकरण, व्यक्तिपरक समाज और ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग करने के समय में, यह अधिकार वनाश्रित समुदायों को समुदाय–आधारित, आपसी विश्वास, संस्कृति, और प्रकृति के साथ एकता के आधार पर अपने जीवन का लक्ष्य तय करने और उनके कल्याण की संभावना पैदा करते हैं। अपना सपना जी पाने की संभावना, यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम सभी को गांवों में, पेड़ों के नीचे बैठकर, चर्चाएं करनी होंगी। यह वो संभावना है जिसपर से हमारी नज़र हटनी नहीं चाहिए, चाहें हम कानूनों की धाराओं और उपधाराओं, हाल में जारी किए निर्देशपत्र और आधिकारिक कार्यवहियों, या दावों, अधिकारपत्रों और नक्शों से जुड़ी प्रक्रियाओं और कागज़ी कार्यवाहियों में कितना ही क्यों न उलझे हों।

2. मड़िखोल, कन्धमाल में वन अधिकारों को आजीविकाओं में बदलना

संघमित्रा दुबे (sanghamitra@vasundharaorissa.org) द्वारा ज़मीनी रिपोर्ट

मड़ीखोल कन्धमाल ज़िले के फुलबनी खंड का एक विलक्षण गांव है, जिसमें रहने वाले लगभग 30 परिवार अपनी आजीविका के लिए प्रमुख रूप से सामुदायिक वनों पर ही निर्भर हैं। काफी समय से, गांव में आजीविकाओं की समस्या चली आ रही थी, खासकर क्योंकि उनके ज़मीन और वनों पर अधिकार सुरक्षित नहीं थे। गांव के लोग अभी भी वो दिन याद करते हैं जब वनों पर उनके अधिकारों पर पाबंदियां लगाई जाती थीं। हमारे साथ बात करते हुए गांव वालों ने कई बार कहा, 'अगारू जंगल गेल फोरेस्ट गार्ड धारुतिला, आऊ जिनिशा अनिबा पाइन दौनाथिले' (पहले जब हम जंगल में वनोपज एकत्रित करने जाते थे, तो फोरेस्ट गार्ड हमें डराता था और वनोपज लेने से रोकता था)।

लेकिन हाल में, वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों के दावे दर्ज करने और मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया से गांव में बहुत बदलाव आया है। इस गांव की ग्राम सभा ने FRA के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक, दोनों अधिकारों के दावे दर्ज किए और इनके लिए उन्हें अधिकारपत्र भी प्राप्त हुए। इस प्रक्रिया से ग्राम सभा का सशक्तिकरण हुआ और अब वे अपनी आजीविकाओं के विकास के लिए स्वयं योजनाएं बना रहे हैं। ग्राम सभा ने गांव की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अभिसरण योजना तैयार की है, और उसके तहत् उन्होंने विभागों द्वारा गांव पर स्कीमें थोपे जाने को चुनौती दी, जो कि अक्सर विभागों द्वारा गांव से परामर्श किए बिना या उनकी ज़रूरतों की प्राथमिकता देखे बिना ही, उन पर थोप दी जाती हैं। मड़ीखोल, आदिवासी और वन क्षेत्रों में बसे ऐसे कई गांवों, जहां थ्त। के अंतर्गत उनके ज़मीन और वनों पर अधिकारों को मान्यता दिए जाने के बाद आ रहे बदलावों और गांव के अंदर ही आजीविकाओं और रोज़गार के स्रोत खुलने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। FRA ने, ग्राम सभाओं के हाथ में वन अधिकार देकर और औरतों को उनकी आजीविकाओं और विकास की प्राथमिकताएं उनके हाथों में सौंप कर, पारंपरिक रूप से सरकार के नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को पलट कर रख दिया है।

FRA संशोधन नियम 2012 का नियम संख्या 12, विशेष रूप से राज्य सरकारों को बाध्य करता है कि वे भू–विकास, भू–प्रजनन क्षमता, मूलभूत सुविधाओं और FRA के अंतर्गत अधिकार–धारकों की आजीविकाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित सरकारी स्कीमें उपलब्ध कराएं। यह इसलिए किया गया जिससे कि अधिकारों को लाभदायक आजीविकाओं में तब्दील किया जा सके। FRA का उद्देश्य है कि आम तौर पर आजीविका के कार्यक्रमों में आम तौर पर जो ऊपर से नीचे की ओर नियोजन और कार्यान्वयन किया जाता है, उस रवैये को बदला जाए, क्योंकि ऐसे में वनवासियों के पास अपने गांवों और वनों में उपयोगी स्कीमें चुन कर लागू करने का कोई विकल्प नहीं रहता। कई बार, इस प्रकार की ऊपर से नीचे की ओर लागू की जाने वाली स्कीमों के कारण गांव वालों की आजीविकाएं भी छिन जाती हैं। दूसरी ओर, FRA के अंतर्गत आजीविकाओं का दृष्टिकोण नीचे से ऊपर की ओर का है। मड़ीखोल के उदाहरण में, नियोजन की प्रक्रिया में ग्राम सभा के सदस्यों और CFR प्रबंधन कमिटि, तथा औरतों को पूरी तरह से शामिल किया गया।

सामाजिक और संसाधन मानचित्रण की प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने छः अलग–अलग योजनाएं बनाईं, जो कि गांव वालों की ज़रूरतों के आधार पर तैयार की गईं। यह अभिसरण योजना, जिसे ग्राम सभा ने तैयार किया है, यह राज्य के नेतृत्व में बनाई गई सूक्ष्म योजनाओं से बिल्कुल अलग है।

राज्य के नेतृत्व में बनाई योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहता है इंदिरा आवास योजना व अन्य ग्रामीण आवास योजनाओं को बढ़ावा देना। लेकिन, मड़ीखोल ने कृषि, सिंचाई, गैर–काष्ठीय वनोपज संस्करण और वनाग्नि को रोकने का प्रशिक्षण आदि, जो कि स्पष्ट रूप से उनकी ज़रूरतों को परिभाषित करता है, उन्हें प्राथमिकता दी है। इस प्रक्रिया में ज़िला प्रशासन का सहयोग महत्वपूण था, और इसने देश के सभी वन क्षेत्र आच्छादित ज़िलों के लिए मिसाल कायम की है। एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी (ITDA) जो कि FRA के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, ने भी इस प्रक्रिया को सशक्त करने के लिए प्रयास किए। छः अलग–अलग विभागों ने साथ मिलकर मड़ीखोल ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित की गई योजना का कार्यान्वयन किया। ओडिषा में पहली बार, एक ज़िला स्तरीय अभिसरण कमिटि गठित की गई जिसका काम था कि वह इस योजना के कार्यान्वयन पर नज़र रखे। सभी विभागों द्वारा वनवासियों को सहयोग करने की एक निरंतर प्रक्रिया की अब शुरुआत हो चुकी है। इन प्रयासों को सशक्त करने के लिए, ओडिशा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जिनमें ग्राम सभा आधारित अभिसरण योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए आजीविकाओं और खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।[81] इनमें कहा गया है कि वनों में आजीविकाओं की योजनाएं ग्राम सभाओं द्वारा बनाई जाएं, इसके लिए संस्थागत सशक्तिकरण प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, और यह प्रक्रियाएं जिन समुदायों को सशक्त करने के लिए बनाई गई हैं, उन समुदायों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाए। मड़ीखोल ग्राम सभा और कन्धमाल ज़िला प्रशासन का यह प्रयास वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकार–धारकों को दिए गए सहयोग की एक मिसाल है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। (इस प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : sanghamitra@vasundharaorissa.org)

[81] इन दिशानिर्देशों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़ें : http://www.downtoearth.org.in/news/translating-rights-into-benefits-53597। यह दिशानिर्देश यहां पर उपलब्ध हैं : http://fra.org.in/ASP_OrderCiculars_UploadFile/%7B585a8daf-34c9-46ee-8792-151e9537d44b%7D_Guidelines_Effective_Implementation_comvergence_Programs_FR_Holders_FRA.pdf

3. महिला अधिकार और वनाधिकार अधिनियम

सोनाली पट्टनायक

वन समुदायों की महिलाओं के जीवन का अधिकांश हिस्सा वनों में, विशेषकर भोजन, ईंधन और हस्तकला के लिए वन संसाधन इकट्ठा करने में गुज़रता है।[82] कई समुदाय आधारित वन सुरक्षा प्रयासों में संरक्षण गतिविधियों और पुनर्जनन कार्यों में औरतों की भूमिका ज़्यादा नज़र आती है।[83] लेकिन जब वनों के उपयोग और संरक्षण संबंधी निर्णय लेने की बात आती है, तो ज़्यादातर महिलाएं समाज में मौजूद पितृसत्तात्मक तंत्र के कारण शामिल नहीं हो पातीं। आधुनिक संरक्षण प्रणालियां भी वन प्रबंधन और उपयोग संबंधी कानूनी और संस्थागत ढांचों में महिलाओं को शामिल करने में विफल रही हैं। वन भूमि के मालिकाना हक़ अस्थिर होने के कारण महिलाओं पर संरक्षित क्षेत्रों से खनन और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के कारण होने वाले विस्थापन का भी गहरा प्रभाव पड़ता है।[84]

- वनाधिकार अधिनियम में, वनों के उपयोग संबंधी सामाजिक–राजनैतिक निर्णय प्रणाली में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रावधान दिए गए हैं।
- अधिनियम की धारा 2(ह) और वनाधिकार अधिनियम संशोधित नियमों की नियम संख्या 4(2) में ग्राम सभाओं में महिलाओं की अबाधित और संपूर्ण भागीदारी का प्रावधान दिया गया है, जहां कुल मौजूद सदस्यों में से एक–तिहाई महिलाओं का होना ज़रूरी है।
- नयम 3(1) के अनुसार, वनाधिकार कमिटि की एक–तिहाई सदस्य महिलाएं होनी चाहिएं।
- नियम 5(ब) के अनुसार, उपखंड स्तरीय कमिटि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से आने वाले तीन सदस्यों में से कम–से–कम एक महिला होनी चाहिए।
- इसी तरह नियम 7(ब) के अंतर्गत ज़रूरी है कि ज़िला स्तरीय कमिटि में पंचायत के तीन सदस्यों में से एक महिला होनी चाहिए।

वनाधिकार अधिनियम में व्यक्तिगत दावों में महिला और पुरुष दोनों के नाम पर अधिकार पत्र बनाए जाने और महिला–मुखिया परिवारों में महिला के नाम से अधिकार पत्र दिए जाने के रूप में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर भी ध्यान दिया गया है (धारा 4(4))।

अध्ययनों से पता चला है कि वनाधिकार अधिनियम के इन प्रावाधानों को नजरंदाज़ किया जा रहा है।[85] हालांकि वन संरक्षण और प्रबंधन में उनकी भूमिका बरकरार है, निर्णय तंत्र में सत्ता के खेल के कारण दावे दाखिल करने और दावे दाखिल करने के बाद की प्रक्रियाओं में, तथा SDLC, DLC, SLMC बैठकों की निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी में कई बाधाएं आती हैं। वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों का आंकलन करने के लिए, ओडिशा की एक संस्था, वसुंधरा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला अधिकारों पर काम करने वाले समूहो की बैठकें करती आई है। भुबनेश्वर में एक राष्ट्र स्तरीय गोष्ठि का आयोजन किया गया जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की संस्थाओं और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विश्लेषण किया कि

[82] https://www.researchgate.net/publication/263634517_Opportunities_for_Enhancing_Poor_Women%27s_Socioeconomic_Empowerment_in_the_Value_Chains_of_Three_African_Non-Timber_Forest_Products_NTFPs

[83] http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BCIFOR1303.pdf and http://vasundharaodisha.org/DiscussionPapers-e.asp

[84] http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/ACIFOR1104.pdf and http://www.bothends.org/uploaded_files/inlineitem/151123_HR_India_def.pdf

[85] लेखक ने ओडिशा के कंधमाल, नयागड़, मयूरभंज, देओगड़ ज़िलों में अध्ययन किया। अधिक जानकारी के लिए लेखक से संपर्क करें।

महिलाओं को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।[86] इस गोष्ठि में हुई चर्चाओं से पता चला कि :

- औरतों को आम तौर पर वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकारों और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है। इस अनभिज्ञता के कारण वनाधिकार कमिटियों और ग्राम सभाओं में वे पर्याप्त संख्या में भागीदारी नहीं कर पातीं। वनाधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार सरकारी विभागों में भी इस विषय पर जागरुकता की कमी है। इसलिए अक्सर वन भूमि पर DLC द्वारा दिए गए पट्टों पर अक्सर केवल पुरुष का ही नाम होता है। इसी प्रकार, कुछ गिने–चुने मामलों को छोड़कर अक्सर एकल महिलाओं, जो और भी ज़्यादा संवेदनशील स्थिति में हैं, को वन भूमि अधिकार भी नहीं मिल पाते। सरकार के पास वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिकार पत्रों में महिलाओं के अलग से आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।
- अगर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता मिल जाती है, तो संभवतः उससे महिलाओं के भरण–पोषण और आजीविकाओं का बंदोबस्त हो सकता है। लेकिन सभी राज्यों में इन अधिकारों को मान्यता कम ही दी जा रही है। ज़मीनी स्तर पर लघु वनोपज पर स्वामित्व और उपयोग के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं और न ही लघु वनोपज के लिए न्यूनतम सहयोग कीमतों के प्रावधान को ठीक से लागू किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, तेन्दु पत्ते को इकट्ठा करना व बिक्री, जो कि महिलाओं की आजीविका का प्रमुख स्रोत है, वह अभी भी राज्य सरकार के एकाधिकार में है। इसके कारण, कई महिला संस्थाएं जो लघु वनोपज इकट्ठा करने और उसकी बिक्री का काम करती हैं (जैसे कि सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह), वे लघु वनोपज की बिक्री से मुनाफ़ा नहीं कमा पा रहीं।
- पारंपरिक वन समुदायों के अधिकारों को मान्यता न मिलने के कारण, विशेषकर अधिकारहीन समुदायों, जिनमें दलित भी शामिल हैं, की महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

जंगलों में वनोपज इकट्ठा करने के लिए जाते समय वन अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न की समस्या को अक्सर नज़रंदाज़ कर दिया जाता है। वन विभाग वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, जैसे कि पौधारोपण करना या संरक्षित क्षेत्रों से जबरन विस्थापन के ज़रिए अभी भी अपना प्रभुत्व बनाए हुए है।

इसी संदर्भ में, वसुंधरा ने कंधमाल ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर संभावना[87] नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं के पट्टों पर अधिकार, पारिस्थितिकीय अधिकार और आजीविका अधिकारों की सुरक्षा के लिए भू–अधिकारों दावों में महिलाओं की भूमिका; और वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावे दाखिल करने से पहले और उसके बाद की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी की ज़रूरत पर

[86] https://www.researchgate.net/publication/289534063_Report_on_National_Consltation-_Women_Forests_Forest_Rights_India

[87] https://www.researchgate.net/publication/298722915_Examples_towards_Women%27s_Equitable_and_Secure_Land_Rights_-Voluntary_Guidelines_and_the_World_Bank_-_Gender_Equitable_Land_Governance_in_Odisha

जंगल संवरक्षन करती हुई, सैगाता गाव की महिलाएं: आशीश कोठारी

जागरुकता बढ़ाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, वनाधिकार कमिटियों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से चर्चाओं को बढ़ावा मिला, जिनके कारण महिला समूहों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ा और अब वे मिलकर महिलाओं के वनाधिकारों को कानूनी मान्यता दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये समूह राज्य स्तर पर इस मुद्दे पर काम करने वाली महिलाओं और संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं। चर्चाओं और संघ निर्माण की इस प्रक्रिया के साथ ही वनाधिकार अधिनियम लागू होने की स्थिति का दस्तावेज़ीकरण भी होगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा और वनाधिकार अधिनियम प्रक्रिया के महिलाओं पर होने वाले प्रभावों को उजागर करने वाले उदाहरणों का दस्तावेज़ीकरण होगा।

इस प्रयास के परिणामस्वरूप, कंधमाल ज़िले की जमझारी ग्राम पंचायत के पुरुषों के साथ मिलकर वहा की औरतें वनाग्नि नियंत्रण प्रणाली तैयार कर रही हैं, जिससे कि उनके वनों को नवजीवन मिल सके। इस प्रक्रिया के कारण कई महिलाएं सामुदायिक प्रशिक्षणकर्ता के रूप में उभरी हैं, जो वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावे दर्ज करने और प्रभावी वन प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी के महत्व के संदेश को अन्य गांवों तक पहुंचा रही हैं।

4. महाराष्ट्र में वनाधिकार और महाराष्ट्र वन विकास कारपोरेशन लिमिटेड थ्क्ब्ड

श्रुति अजीत (shrutiajit16@gmail.com)

वनाधिकार अधिनियम, 2006 को उन लोगों के लिए सशक्तिकरण का उपकरण माना गया है, जिन की आजीविकाएं वन संसाधनों पर टिकी हैं। लागू होने के बाद से, इस अधिनियम ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में क्रांति ला दी, खासकर उन लोगों के लिए जिन के इन संसाधनों पर पारंपरिक अधिकार हैं, क्योंकि इन समुदायों को संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में निर्णायक भूमिका मिली है। लेकिन, जैसा कि हमने समय–समय पर देखा है, जब केन्द्रीकृत सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाता है, तो राज्य सरकार ही उसको चुनौती देने लगती है, इसलिए यह देख कर आश्चर्य नहीं होता कि वन संसाधन प्रबंधन के मौजूदा सत्ताधारियों ने नई नीतियों और पुरानी नीतियों तथा संस्थानों को सशक्त करते हुए, यह कोशिश शुरू कर दी है कि नियंत्रण केन्द्रीकृत ही बना रहे। इसका एक जीता–जागता उदाहरण है फॉरेस्ट डैवलपमैन्ट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड। औपनिवेशिक समय से वनों के संरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत वैज्ञानिक वानिकी के माध्यम से हुई। भारत ने भी अपने वनों के संरक्षण के लिए यही पद्धति अपनाई; और पेड़ों की वही प्रजातियां लगाईं जिनका काष्ठीय उपयोग हो। वैज्ञानिक वानिकी की इस प्रक्रिया को चलाने के लिए जो संस्थागत ढांचा खड़ा किया गया, वह अत्यंत विशिष्ट (जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल नहीं किया गया) और उसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का केवल शोषण होता था। इस ढांचे के अंतर्गत, वन विभाग और वन विकास कारपोरेशन आते हैं, जिन्हें ज़्यादातर राज्यों में स्थापित किया गया।

महाराष्ट्र वन विकास कारपोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके आगे थ्क्ब्ड कहा जाएगा) का गठन वर्ष 1974 में, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया। जिसे पहले वन विकास बोर्ड के नाम से जाना जाता था, वह महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम था, जिसने ''कम मूल्य के मिश्रित वनों के बड़े बड़े खंडों को कीमती काष्ठ खंडों में बदलना शुरू कर दिया''।[88] FDCM के यह उद्देश्य वर्तमान में गड़चिरोली और यवतमल ज़िलों के 10 गांवों के लिए चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। यह गांव हैं सावलखेड़ा, कराड़ी, भगवानपुर, शिवपुर, विहिरगांव, चिकलीरीठ, चिकलीटुकुम, डुंगरगांव, मोरटोला, येरान्डी और कसारी। इन गांवों ने वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत, वर्ष 2011 में उन वन क्षेत्रों पर पारंपरिक वन अधिकारों का दावा किया था, जिन्हें काष्ठ के लिए लगातार काटा जा रहा था। इन क्षेत्रों में FDCM को पेड़ काटने के लिए, वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत गांवों द्वारा दावे दर्ज करने के बाद, वर्ष 2015 में दी गई। यह लीज़ FDCM को ताड़ोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र के काष्ठ खंडों में पेड़ों की कटान रोके जाने के मुआवज़े में दी गई। गड़चिरोली और यवतमल के यह काष्ठ खंड अनुसूचित 5 क्षेत्र में आते हैं और यह वन वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावा दर्ज करने वाले गांवों के पारंपरिक वन भी हैं। यह लीज गांवों को सूचित किए या उनकी अनुमति लिए बिना ही दे दी गई। इसलिए यह लीज़ ना सिर्फ एक, बल्कि दो केन्द्रीय अधिनियमों के विरुद्ध है!

[88] यह जानकारी से http://www.fdcm.nic.in/objectives.htm प्राप्त की गई।

सावलखेड़ा में की गई एक तथ्य–निर्धारण रिपोर्ट[89] में इसके सबूत दिए गए हैं कि सावलखेड़ा ग्राम सभा के विरोध के बावजूद, पेड़ों की कटान जारी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, दो वन खंड गांव की पारंपरिक सीमा के अंदर आते हैं। इस गांव को 261 है. वन भूमि पर सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारपत्र दिया जा चुका है। और वे ऊपर वर्णित वन खंड के लिए भी CFR का दावा दर्ज करने जा रहे हैं।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 3542 पेड़ों के इस वन खंड में बिना सोचे–समझे पेड़ों की कटान की जा रही है, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत पेड़ों की उम्र 10 वर्ष से कम है। इसमें 34 प्रजातियों के पेड़ काटे जा रहे हैं, जिनमें से 11 ऐसी प्रजातियां हैं, जिन पर गांव वालों की आजीविकाएं आश्रित हैं। इन प्रजातियों में शामिल हैं – तेन्दु, महुआ, चरोली, आंवला, बेल, सलाई आदि। पेड़ प्रजातियों की विविधता के अतिरिक्त, इन वनों में तेंदुआ, जंगली कुत्ता, सांबर और अन्य वन्यजीव वास करते हैं, जिन पर इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटान का दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि वे गांवों की बस्तियों की तरफ आने लगेंगे और मनुष्य–वन्यजीव भिड़ंत के मामलों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि यह वन उच्च धनत्व वाले और जैवविविधता से संपूर्ण हैं।[90] विरोधाभास यह है कि थ्क्ब्ड के कथित उद्देश्यों में, उसकी ज़िम्मेदारी है कि कंपनी को लीज़ पर दी गई या उनके स्वामित्व वाली भूमि के प्रबंधन, संरक्षण और वनस्पतियों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा करे।[91] CAG की वर्ष 2011 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने, अन्य क्षेत्रों की तरह, उन वन क्षेत्रों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं दिए हैं, जिन पर उनके अनुसार गांव वालों ने 'अतिक्रमण' किया हुआ है,[92] जिससे कि इस पर कार्यवाही की जा सके। इस प्रकार, जो समुदाय कई पीढ़ियों से वनोपज के आधार पर अपनी आजीविकाएं चलाते आ रहे हैं, उन्हें थ्क्ब्ड की रिपोर्टों में अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया गया।

यह देख कर और भी दुख हुआ कि राज्य सरकार की एजेंसियां भी कंपनी के साथ मिली हुई हैं। अप्रैल 2016 में, सावलखेड़ा में, जब गांव वालों ने उनके विरोध के बावजूद FDCM की मशीनों को पेड़ काटते हुए देखा और मशीनें ज़ब्त कर लीं, तो ग्राम सभा ने अरमोरी पुलिस स्टेशन में कंपनी के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें संबंधित प्राधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने गांव वालों से लिखित में लिया कि वे वन खंडों में कंपनी के काम में अवरोध पैदा नहीं करेंगे।

FDCM, जिसे राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त है, द्वारा वनों के दोहन के खिलाफ़ सावलखेड़ा का कड़ा विरोध जारी है। जब इस प्रकार कंपनियां राज्य की मिलीभगत के साथ मूलभूत मानव अधिकारों का हनन करते हुए, लोगों की आजीविकाएं छीनती हैं और साथ ही पारिस्थितिकीय तंत्र को भी क्षति पहुंचाती हैं, तब हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर अभी भी सरकार का एकाधिकार है।

[89] जयेश खरीनार, पी.एस. (2016)। ऐक्सप्लौइटेटिव कंज़रवेशन – फैक्ट फाईंडिंग रिपोर्ट।

[90] अनुलग्नक 4, जयेश खरीनार, पी.एस. (2016)। ऐक्सप्लौइटेटिव कंज़रवेशन – फैक्ट फाईंडिंग रिपोर्ट।
पूर्वोक्त

[91] इंडिया सी ए (2011)। रिपोर्ट ऑफ द कम्पट्रोलर ऐंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया – गवर्नमैंट ऑफ महाराष्ट्र। यह जानकारी

[92] http://agmaha.nic.in/pdfreport/Comm_rep_10_11/AR2010-11-Eng.pdf से प्राप्त की गई।

5. वन हस्तांतरण प्रक्रिया में FRA की स्थिति

मीनल तत्पति

भारत में ढांचागत, औद्योगिक और विकास परियोजनाओं में तेज़ी से होती हुई बढ़ोतरी के लिए हमें बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकीय और सामाजिक कीमतों के साथ –साथ भारत के जैव–विविध वनों को गंवा कर कीमत चुकानी पड़ी है।[93] इसके परिणामस्वरूप, वन आधारित समुदाय बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं, जिनकी इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृति या अस्वीकृति को मद्देनज़र नहीं रखा गया।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (FCA) में, जो गैर–वानिकी उपयोग के लिए वनों के हस्तांतरण का विनियमन करता है, हाल तक, वन हस्तांतरण के संदर्भ में स्थानीय समुदायों के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। FRA के अधिनियमन से, वनों में रहने वाले समुदायों के प्रति देश के विकास कार्यक्रमों के ज़रिए हुए 'जबरन विस्थापन' जैसे ऐतिहासिक अन्याय की पहचान हुई। इसके समाधान के लिए, अधिनियम की धारा 4(5) में वनवासियों के विस्थापन को रोकने का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार, किसी भी वनवासी को उसके आधीन ज़मीन से तब तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि FRA के अंतर्गत उसके अधिकारों को मान्यता देने और बंदोबस्ती करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती। इसके अतिरिक्त, धारा 5 ग्राम सभाओं को शक्ति देती है कि वे सुनिश्चित करें कि वन समुदायों के आवास, उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को प्रभावित करने वाली विनाशजनक गतिविधियों से सुरक्षित हैं, और वन्यजीवों, वनों तथा जैवविविधता को नुक्सान पहुंचाने वाली हर गतिविधि पर रोक लगाएं। इन प्रावधानों पर वर्ष 2008 में नियमों की अधिसूचना तक कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया था। तृणमूल स्तर के आंदोलनों और संस्थाओं की इन प्रावधानों को लागू करने की लगातार मांग और दबाव के बाद पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया (दिनांक 3 अगस्त, 2009 को), जिसमें FRA और FCA में वनवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाले प्रावधानों के बीच कड़ी बनाई। मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित ग्राम सभाओं की लिखित में सूचित सहमति, के साथ वन अधिकारों को मान्यता दिए जाने और बंदोबस्ती के अन्य दस्तावेज़ी प्रमाणों के जमा किए जाने के बाद ही किसी परियोजना को वन–भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी जाएगी। मार्च 2014 में, वन संरक्षण संशोधन नियमों को अधिसूचित किया गया। इन नियमों के अंतर्गत, ज़िला कलैक्टरों को ज़िम्मेदारी दी गई है कि हस्तांतरित होने वाले क्षेत्र की प्रभावित ग्राम सभाओं से स्वीकृति लें और रिपोर्ट जमा करें कि FRA के अंतर्गत समयबद्धतरीके से अधिकारों की बंदोबस्ती कर ली गई है।[94] पिछले सालों में MoEFCC द्वारा बार–बार प्रयास किए गए हैं कि वह अगस्त 2009 के परिपत्र के प्रावधानों को हटा सके, या बदलाव करवा सके। लेकिन इन प्रयासों को समय–समय पर MoTA ने विभिन्न प्रपत्र जारी करके नाकाम किया है, जिनमें कहा गया कि FRA के प्रावधानों में कोई छूट नहीं की जा सकती (तालिका 1 देखें)। लेकिन MoTA द्वारा ही जारी किए गए एक हाल के परिपत्र में, MoTA ने लंबे समय के अपने ही निर्णय का प्रतिवाद करते हुए कहा कि, उत्तरपूर्वी राज्यों में 'सैन्य' परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की अनुमति से छूट है। कानून मंत्रालय ने हाल में कहा है कि अधिनियम में बदलाव करने का एकमात्र

[93] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, 2009। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट : भारत। MoEF, नई दिल्ली, पृष्ठ 59।
http://www.moef.nic.in/downloads/home/home-SoE-Report-2009.pdf

[94] हांलाकि इन नियमों में FRA अनुपालना की आवश्यकता को माना गया है, लेकिन डर है कि इनकी व्याख्या FRA के मूल उद्देश्यों का उल्लंघन करने के लिए भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, 'अधिकारों को मान्यता' शब्द के बजाए 'अधिकारों की बंदोबस्ती' शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अनुसार, बंदोबस्ती का मतलब है अधिकारों को सीमित करना, जबकि FRA के अंतर्गत पूर्ववत अधिकारों को मान्यता देने और स्थापित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, ज़िला कलैक्टर को 'जहां आवश्यकता हो, वहां स्वीकृति लेनी' है। इसकी व्याख्या गलत रूप से इस प्रकार भी की जा सकती है कि ग्राम सभाओं के पास 'अस्वीकृति' देने का विकल्प ही नहीं है, और यह भी कि प्रभावित ग्राम सभाएं कलैक्टर अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं।

अधिकार MoTA के पास है। लेकिन MoTA ने हाल में इशारा किया है कि वह प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए कानून में फेरबदल करेगा।[95] उन्नति, विकास और मंजूरियों प्रापत करने में 'प्रशासनिक प्रक्रियाएं कम करने' के नाम पर, समुदायों के कल्याण और अधिकारों के प्रति यह बेरोक विरोध देश के लोकतांत्रिक ताने–बाने को गंभीर रूप से नुक्सान पहुंचा रहा है। इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम में यदि कोई भी बदलाव किया गया, तो उसका मतलब होगा संबंधित समुदायों को वन भूमि पर उनके अधिकारों से वंचित करना, एक ऐसी जगह खो देना जहां यह समुदाय अपने लिए उचित, बेहतर और न्यायोत्तर मुआवज़े की मांग कर सकते थे; और उनके वन संसाधनों को क्षति पहुंचाने वाली परियोजनाओं को नामंज़ूर करने के उनके अधिकारों का हनन; जिससे वही ऐतिहासिक अन्याय दोहराया जाएगा, जिसका FRA ने समाधान करने की कोशिश की थी।

MoEFCC द्वारा जारी परिपत्र	MoTA द्वारा जारी परिपत्र
5 फरवरी 2013; 5 जुलाई 2013; जिसे 15 जनवरी 2014 को दोहराया गया : सिलसिलेवार परियोजनाओं को FRA अनुपालना से छूट, जहां पर ग्राम सभा की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं।	7 मार्च 2014 : सभी प्रकार की परियोजनाओं के लिए FRA अनुपालना अनिवार्य और सिलसिलेवार हस्तांतरणों के लिए जारी किए MoTA के सभी पत्र गैर'कानूनी हैं जिन्हें तुरंत वापस लेना होगा
4 जुलाई 2014 : खनिजों की खोज के लिए FRA अनुपालना से छूट	27 अगस्त 2014 : FRA में वन भूमि पर किसी भी प्रकार की परियोजना को उसके प्रावधानों से छूट का कोई प्रावधान नहीं है; FRA के अंतर्गत, हस्तांतरण के लिए ग्राम सभा की बैठक कानूनी रूप से अनिवार्य है, और इसे हस्तांतरण से प्रभावित होने वाली हर ग्राम सभा के लिए लागू किया जाना चाहिए।
मार्च 2014 : वन संरक्षण संशोधन नियम, 2014 अधिसूचित; ज़िला कलैक्टर थ्। के अंतर्गत सभी कार्यवाही पूरी करने के लिए ज़िम्मेदार, जहां ज़रूरत हो वहां कलैक्टर प्रभावित ग्राम सभा की स्वीकृति लेंगे और समयबद्ध तरीके से वनपालक को रिपोर्ट जमा करेंगे।	....
28 अक्तूबर 2014 : ज़िला कलैक्टर द्वारा प्रमाणपत्र, कि हस्तांतरित की जाने वाली भूमि वनीकरण क्षेत्र है और वहां अनुसूचित जनजाति या अन्य वनवासियों की कोई जनसंख्या नहीं रहती को जमा करने की अनुमति; यह FRA अनुपालना के दस्तावेज़ी प्रमाण के रूप में जमा किया जा सकता है, उन हस्तांतरण के मामलों में जहां वनीकरण क्षेत्र को वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो, जिस क्षेत्र को 13 दिसंबर 2005 से पहले वन के रूप में अधिसूचित किए हुए 75 वर्षों से एक भी दिन कम हो।	....
वर्ष 2014 में कई परिपत्र जारी किए गए जिनके माध्यम से FCA के अंतर्गत 'आम स्वीकृति' दी गई; उदाहरण के लिए, ॅम् राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और 'महत्वपूर्ण' ढांचागत निर्माण के लिए	24 फरवरी 2015 : उत्तरपूर्वी राज्यों में रणनीतिक सैन्य परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण के लिए, जिसमें अनुमति दी गई कि ज़िला कलैक्टर का प्रमाणपत्र, कि 'थ्। संबंधित किसी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है', को थ्। अनुपालना के दस्तावेज़ी सबूत के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा; चूंकि ज़्यादातर वन भूमि पहले से ही समुदायों के स्वामित्व या नियंत्रण में है और आरक्षित वन घोषित किए जा चुके क्षेत्रों में, और अधिकारों की पहले ही बंदोबस्ती की जा चुकी है।[96]

[95] देखें : http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-07-02/news/64039097_1_law-ministry-green-ministry-environment-ministry

[96] MoTA का स्पष्टीकरण कि उत्तरपूर्वी राज्यों में ज़्यादातर वन क्षेत्र पहले से ही समुदायों के स्वामित्व में हैं और यह कि आरक्षित वन क्षेत्रों में पहले ही अधिकारों की बंदोबस्ती की जा चुकी है, FRA का उल्लंघन करता है। FRA एक केन्द्रीय कानून है जिसके अंतर्गत सभी वनवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने का प्रावधान है, विशेषकर विकास परियोजनाओं के संदर्भ में। डवज। का यह परिपत्र उत्तरपूर्व के समुदायों के उनकी पारंपरिक वन भूमि पर किसी भी प्रकार की विकास गतिविधियों पर 'पूर्व सूचित स्वीकृति' देने के अधिकार का हनन करता है।

E. अनुबंध

STATE	May'15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Dec-15	Jan-16	Mar-16	Apr-16	Jun-16	Aug-16	Oct-16	Dec-16	Jan-17
Andhra Pradesh	10, 959	10,959	10,959	10,959	10,959	10,959	10,959	10,959	**4,493**	4,493	4,493	**4,711**	4,711
Assam	5,913	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	**6,046**	6,046	6,046
Bihar	-	-	-	-	N.A		N.A						
Chhattisgarh	-	-	-	-	N.A		N.A						**23,949**
Goa											**361**	361	361
Gujarat	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	**7,229**	7,229	**6,998**	6,998
Himachal Pradesh	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	**68**	68
Jharkhand	864	864	**2,734**	2,734	2,734	2,734	2,734	2,734	**2,926**	**3,403**	3,403	3,403	**3,286**
Karnataka	6,135	**6,208**	6,208	6,208	6,208	6,208	6,208	6,208	6,208	6,208	6,208	**5,741**	5,741
Kerala	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
Madhya Pradesh	40,669	**40,615**	**40,913**	40,913	40,913	40,913	**40,872**	40,872	**41,235**	**42,156**	42,156	**39,802**	**39,816**
Maharashtra	7,062	**7,152**	7,152	7,152	7,152	7,152	7,152	**8,953**	8,953	8,953	8,953	11,408	11,408
Odisha	12,502 (7,688- Community and 4814 –CFR Claims)	**12,560**(7,717 Community and 4,843 CFR Claims)	**7727** Community and 4,892 CFR	**12651**(7754 Community and 4,897 CFR)	**12,866**	**12,872**	**13,150**	13,150	**13,233**	**13,403**	**13,433**	13,433	13,433
Rajasthan	650	**654**	654	654	654	654	654	**685**	685	685	685	**755**	755
Tamil Nadu	3,361	-	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361
Telangana	4,814	**3,672**	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	**3,769**	3,769	3,769	3,769	**3,427**	3,427
Tripura	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
Uttar Pradesh	1,115	**1,124**	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124
West Bengal	10,119	10,119	10,119	10,119	10,119	10,119	10,119	10,119	10,119	10,119	10,119	10,119	10,119
			######	######	1,14,138	1,14,144	1,14,381	1,16,310	######	1,12,051	1,13,295	1,12,429	1,36,275

रंग संहिता	
(पीला)	पहले रिपोर्ट नहीं की गयी
(लाल)	घटौती
(हरा)	वृद्धी

STATE	Status of Community Rights Titles											
STATE	**May-15**	**Aug-15**	**Sep-15**	**Oct-15**	**Dec-15**	**Jan-16**	**Mar-16**	**Apr-16**	**Jun-16**	**Aug-16**	**Oct-16**	**Dec-16**	**Jan-17**
Andhra Pradesh	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	**1,319**	1,319	1,319	**1,415**	1,415
Assam	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	**1,477**	1,477	1,477
Bihar	-	-	-	-	NA								
Chhattisgarh	-	-	-	-	NA								12,337
Goa											**3**	3	3
Gujarat	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	**3,484**	3,484
Himachal Pradesh	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	**7**	7
Jharkhand	494	494	**1,434**	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	**1,546**	**1,850**	1,850	1,850	**1,723**
Karnataka	101	**144**	144	144	144	144	144	144	144	144	144	**628**	628
Kerala	-	-	-	-									
Madhya Pradesh	19,491	**21,285** (ready for distribution is **20,747**)	**21,727**	**21,830**	**21,909**	21,909	**22,915**	**23,139**	**24,694**	**27,252**	27,252	**27,422**	27,422
Maharashtra	3,277	**3,436**	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	**4,187**	4,187	4,187	4,187	**5,748**	5,748
Odisha	5,000 (2,910 –Community and 2,090 CFR Titles)	5000 (2,910 Community and 2,090 CFR titles)	2910 community and 2,090 CFR	2910 community and 2,090 CFR	**5,004**	**5,036**	**5,151**	**5,159**	**5,205**	**5,384**	**5,513**	**5,891**	5891
Rajasthan	65	**69**	69	69	69	69	69	69	69				
Tamil Nadu	-		-	-									
Telangana	744	744	744	744	744	744	744	**761**	761	761	761	**721**	721
Tripura	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	**16**	16
Uttar Pradesh	834	**843**	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843
West Bengal	404 (346-Community and 58-CFR titles)	**431**(373 Community and 58 CFR)	373 Community and 58 CFR	**558** Community and 58 CFR	**741**	**747**	747	747	**785**	**805**	**805**	805	805
			38,685	**38,973**	**41,329**	**41,367**	**42,488**	**43,488**	**44,451**	**47,443**	**48,192**	**50,310**	**62,520**

रंग संहिता	
	पहले रिपोर्ट नहीं की गयी
	घटौती
	वृद्धी

STATE	Extent of forest land for titles distributed (acres)											
STATE	May-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Dec-15	Jan-16	Mar-16	Apr-16	Jun-16	Aug-16	Oct-16	Dec-16	Jan-17
Andhra Pradesh	NA	NA							**4,34,355**	4,34,355	4,34,355	**4,41,063**	4,41,063.00
Assam	NA	NA											
Bihar	NA	NA											
Chhattisgarh	NA	NA											**12,86,669.21**
Goa											**4.35**	4.35	4.35
Gujarat	NA	10,81,583	10,81,583	10,81,583	10,81,583	10,81,583	10,81,583	10,81,583	10,81,583	10,81,583	10,81,583.00	**11,42,191.96**	11,42,191.96
Himachal Pradesh	NA	NA										**4670.28**	4,670.28
Jharkhand	NA	NA								**85,615.57**	85,615.57	85,615.57	45,503.71
Karnataka	26,246.57	26,274.79	26,274.79	26,274.79	26,274.79	26,274.79	26,274.79	26,274.79	26,274.79	26,274.79	26,274.79	**26,465.31**	26,465.31
Kerala	NA	NA											
Madhya Pradesh	NA	NA										**13,02,165.93**	13,02,165.93
Maharashtra	8,15,810.70	8,63,478.72	8,63,478.72	8,63,478.72	8,63,478.72	8,63,478.72	8,63,478.72	**13,92,644.78**	13,92,644.78	13,92,644.78	13,92,644.78	**44,35,944.77**	44,35,944.77
Odisha	109391.46 Acres for Community and 70772.04 Acres for CFR	109391.46 Acres for Community and 70272.04Acres for CFR	1,09,391.46	1,09,391.46	**1,79,663.50**	**1,85,902.98**	**1,91,131.15**	**1,91,612.09**	**3,35,354.27**	**3,35,599.07**	**2,83,884.97**	**2,84,109.67**	2,84,109.67
Rajasthan	479.73	482.58	482.58	482.58	482.58	482.58	482.58	482.58	482.58	482.58	**657.53**	**660.79**	660.79
Tamil Nadu	-												
Telangana	5,03,082	5,03,082	5,03,082	5,03,082	5,03,082	5,03,082	5,03,082.00	**12,74,327.90**	12,74,327.90	12,74,327.90	12,74,327.90	**4,54,055.00**	4,54,055.00
Tripura	56.79	56.79	**91.17**	91.17	91.17	91.17	91.17	91.17	91.17	91.16	91.16	**27.07**	27.07
Uttar Pradesh	-	NA								**1,20,802.06**	1,20,802.06	1,20,802.06	1,20,802.06
West Bengal	-	NA								**1,004.26**	1,004.26	**1,052.84**	1,052.84

रंग संहिता	
(पीला)	पहले रिपोर्ट नहीं की गयी
(लाल)	घटौती
(हरा)	वृद्धी

KALPAVRIKSH
कल्पवृक्ष

VASUNDHARA
democratizing natural resource governance

ऑक्सफैम इंडिया
OXFAM
India

के सहयोग से

www.fra.org.in